खण्ड-06 सत्र -06 (भाग-02) / अंक-63 बुधवार 15 जनवरी 2018 / 25 पौष, 1939 (शक)

# दिल्ली विधान सभा

## की

## कार्यवाही

सत्यमेव जयते

## छठी विधान सभा

## छठा सत्र

**अधिकृत विवरण**

(सत्र-06 (भाग-02) में अंक 63 से अंक 65 तक सम्मिलित हैं)

**दिल्ली विधान सभा सचिवालय**

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

## सम्पादक वर्ग

## EDITORIAL BOARD

**सी. वेलमुरुगन**

सचिव

**C. VELMURUGAN**

Secretary

**एम.एस. रावत**

उप-सचिव (सम्पादन)

**M.S. RAWAT**

Deputy Secretary (Editing)

## fo"k; lwph

**सत्र–06 भाग (02) सोमवार, 15 जनवरी, 2018 / 25 पौष, 1939 (शक) अंक–63**


| | | |
|---|---|---|
| 1. | सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची | 1–2 |
| 2. | निधन सम्बन्धी उल्लेख | 3–4 |
| 3. | माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था | 5–40 |
| 4. | अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)<br>(सीलिंग से उत्पन्न मद्दों पर) | 41–47 |
| 5. | सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात | 48–53 |
| 6. | अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) जारी... | 54–90 |

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

**सत्र–06 भाग (02) सोमवार, 15 जनवरी, 2018/25 पौष, 1939 (शक) अंक–63**

## दिल्ली विधान सभा

**सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।**

**सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची**

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री राम चंद्र
8. श्री सुखवीर सिंह दलाल
9. श्री ऋतुराज गोविन्द
10. श्री संदीप कुमार
11. श्री रघुविन्द्र शौकीन
12. श्रीमती बंदना कुमारी
13. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
14. श्री राजेश गुप्ता
15. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
16. श्री सोमदत्त
17. सुश्री अलका लाम्बा
18. श्री विशेष रवि

19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल
21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री जरनैल सिंह
23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री गुलाब सिंह
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत़
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री अजय दत्त
38. श्री दिनेश मोहनिया
39. श्री सौरभ भारद्वाज
40. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
41. श्री सही राम
42. श्री नारायण दत्त शर्मा
43. श्री अमानतुल्लाह खान
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओम प्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. श्रीमती सरिता सिंह
51. मो. इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान
55. श्री कपिल मिश्रा

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

---

सत्र–06 भाग (02)     सोमवार, 15 जनवरी, 2018 / 25 पौष, 1939 (शक)     अंक–63

---

## Inu vijkgu 2-00 ct: leor gqvkA

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।**

## (निधन सम्बन्धी उल्लेख)

**अध्यक्ष महोदय :** दिल्ली विधानसभा के छठे सत्र के द्वितीय भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप शालीनतापूर्वक सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे तथा कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे।

माननीय सदस्यगण! आपको यह जानकर अत्यधिक दुःख होगा कि दिल्ली विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह का दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को निधन हो गया। वे द्वितीय और तृतीय दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने वर्ष 1952 में राजनीति में प्रवेश किया था तथा वर्ष 1958 में वे नगर निगम के सबसे युवा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और दिल्ली नगर निगम की ग्रामीण क्षेत्र समिति के प्रथम अध्यक्ष बने। वे वर्ष 1959 से लगातार 12 वर्षों तक हरिजन कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे। वे वर्ष 1967, 1972, 1977 एवं 1983 में दिल्ली महानगर परिषद के पार्षद निर्वाचित हुए

तथा वर्ष 1993, 1998, 2003 और 2008 में लगातार चार बार दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने। उन्होंने वर्ष 1998 से 2003 तथा वर्ष 2004 से 2008 तक दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 1958 से 2008 तक निरंतर चुनावों में विजयी रहे और एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लगातार नौ चुनावों में विजय प्राप्त करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। वह जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता थे। गरीब तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए उन्होंने सदैव भरसक प्रयास किया। दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूर्ण मर्यादा, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षतापूर्वक अपने कर्तव्य का निवर्हन किया।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से चौधरी प्रेम सिंह के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

आपको ये जानकर दुख होगा कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल श्री बी. एल. जोशी का दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को देहांत हो गया। उन्होंने वर्ष 1957 में अपना कैरियर राजस्थान पुलिस अधिकारी के रूप में शुरू किया और बाद में भारत सरकार की सेवा में आ गये थे। अपने लम्बे सेवाकाल के दौरान उन्होंने गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के हाई कमीशन में कार्य किया। भारतीय पुलिस सेवा से रिटायरमेंट के बाद वे समाज सेवा में जुट गये। वे वर्ष 2004 से 2007 तक दिल्ली के उपराज्यपाल रहे। तत्पश्चात् वे मेघालय, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने। समाज सेवा में उनकी गहन रूचि थी और उनको सरल स्वभाव के विद्वान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री बी.एल.जोशी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

(सदन द्वारा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में दो मिनट का मौन)

**अध्यक्ष महोदयः** ओउम शांति ओउम शांति।

## माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य बैनर लेकर सदन के वेल में आये और व्यावसायिक परिसरों की सीलिंग के विरोध में नारेबाजी की)

**अध्यक्ष महोदयः** मुझे अपना विषय भी, मुझे सोमदत्त जी बैठिये प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो बैठें प्लीज। मुझे अपना विषय पूरा करने दें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि कृपया बैठ जायें। ऋतुराज जी, ऋतु राज जी, ऋतु राज जी, सभी अपने सीटों पर चले जाइये। ये ठीक नहीं तरीका प्लीज।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

**अध्यक्ष महोदयः** मेरा अभी विषय... अभी अभी दो विषय बहुत महत्वपूर्ण बाकी हैं...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि अपनी सीट पर बैठ जायें। माननीय सदस्यों से...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया अपनी कुर्सियों पर जायें। जगदीप जी, जगदीप जी।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया अपनी कुर्सियों पर जायें। माननीय सदस्य..

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** प्रसन्ना जी, प्रसन्ना जी ...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। अभी मेरे दो महत्वपूर्ण विषय बाकी हैं। कृपया अपनी कुर्सी पर जायें। अपनी अपनी सीट पर जायें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया अपनी कुर्सी पर जायें। अभी बैठाइये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** अब बैठाइये प्लीज। अभी दो विषय बाकी हैं, आप बैठ जायें कृपया। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। अपनी अपनी सीट पर जायें प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्यों से प्रार्थना कृपया कुर्सी पर जायें। अपनी अपनी सीट पर जायें। माननीय सदस्य

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं अपनी अपनी कुर्सी पर बैठें। माननीय सदस्य कृपया अपने अपनी स्थान पर पहुंचे। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कृपया पहुंचे

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीप जी, जगदीप जी, बैठाइये सबको, प्लीज बैठाइये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं अपनी अपनी कुर्सी पर बैठें प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, अभी सदन का... आप अपनी कुर्सियों पर बैठिये प्लीज

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सदन की कार्यवाही को...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं खड़ा हो गया हूं उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे हैं प्लीज

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** 15 मिनट के लिए हाउस एडजोर्न किया जाता है।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

**सदन अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।**

**अध्यक्ष महोदयः** एक मिनट प्लीज। आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल ए. एम. करियप्पा ने इसी दिन 15 जनवरी, 1949 को आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसीस बुच्चन से भारतीय थल सेना के कमांडर इन चीफ का कार्यभार सम्भाला था। भारतीय सेना अपने साहस, शौर्य और बलिदान से देश की रक्षा निरंतर करती आ रही है। इसी कारण हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। मैं इस अवसर पर सम्पूर्ण भारतीय सेना को बहुत–बहुत बधाई देता हूं और सैनिकों के देश सेवा के जज्बे को सलाम करता हूं और अपनी ओर से दिल्ली विधान सभा की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूं।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** ऐसे सदन की कार्यवाही नहीं चल पाएगी, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ बिजली सूची बद्ध है। आज इस पर चर्चा सूचीबद्ध है, सीलिंग पर चर्चा सूचीबद्ध है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं पुनः माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ आज सीलिंग पर चर्चा सूचीबद्ध है। अभी 280 में...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कृपया अपनी कुर्सियों पर बैठें। माननीय सदस्य अपनी–अपनी सीट पर बैठें प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सीलिंग की कार्रवाई सूचीबद्ध है, सीलिंग पर आज चर्चा कराना सूचीबद्ध है।

... (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठें। सीलिंग का मुद्दा...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** प्लीज माननीय सदस्य ध्यान देंगे प्लीज।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में आकर नारेबाजी )

**अध्यक्ष महोदयः** मैं पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूं माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर जाएं।

**अध्यक्ष महोदयः** अपने–अपने स्थान पर जाएं माननीय सदस्य।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठे।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में आकर नारेबाजी)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्यगण, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने–अपने स्थान पर बैठें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने–अपने स्थान पर बैठें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आज सीलिंग पर चर्चा सूचीबद्ध है। मैं बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं आज कि बिजनेस जो सूचीबद्ध है, मुझे उसको पूरा करने दे। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** नितिन जी, माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कृपया बैठे।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीप जी, बैठाइए सबको।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** 15 मिनट के लिए पुनः हाउस एडजॉर्न किया जाता है।

**सदन अपराह्न 2.56 बजे पुनः समवेत हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।**

**अध्यक्ष महोदयः** बैठिए प्लीज, बैठिए। पहले भी खड़े थे। बैठे तो हैं ही नहीं। बैठिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** बैठिए प्लीज बैठिए, बैठिए। प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य बैठें। ये कन्वर्जन चार्जिज का मामला सीलिंग का सूचीबद्ध है। मैं चर्चा करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** 280 नरेश बाल्यान।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि बैठें प्लीज। जगदीप जी बैठाइए प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीप जी बैठाइए प्लीज बैठिए बैठिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य बैठें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** भाई ऐसे तो सदन चलाना बड़ा कठिन हो जाएगा। जगदीप जी कृपया बैठाइए सबको प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** बैठिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना बैठें। बैठिए प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** भाई आप बैठिए तो सही न तभी तो कुछ समझ में आएगा क्या चाहते हैं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** देखिए सदस्य क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा अब तक। मैं बार बार कह रहा हूं सूचीबद्ध है आज चर्चा। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं सीलिंग पर चर्चा सूचीबद्ध है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सदस्य क्या चाहते हैं एक बार बैठे तो सही। ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आप चाहते हैं। सदन के कुछ नियम हैं।

**अध्यक्ष महोदयः** सीलिंग पर चर्चा सूचीबद्ध है। उस पर चर्चा होगी। कृपया बैठ जाइए। सीटों पर बैठ जाईए। जगदीप जी बैठिए जरा। चीफ ह्विप जगदीप जी प्लीज बैठाइए सबको।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सदन क्या चाहता है मुझे जानकारी भी तो होनी चाहिए। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। क्या–क्या कह रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी।)

**अध्यक्ष महोदयः** बैठ जाईए। प्लीज बैठ जाईए। बैठिए, मुझे सदन की कार्रवाई चलाने दीजिए। सरिता जी बैठिए।

(विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर 351 सड़कों के नोटिफिकेशन को लेकर नारेबाजी।)

**अध्यक्ष महोदयः** अपने–अपने स्थान पर बैठिए। नहीं आप क्या कह रहे हैं। विजेन्द्र जी आप क्या कह रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी।)

**अध्यक्ष महोदयः** गैर कानूनी है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। नितिन जी,

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी।)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीप जी, माननीय सदस्यों को बैठाइए। एक बार कुर्सी पर बैठाइए सबको। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है, कृपया बैठें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** ऋतुराज जी, बैठिए प्लीज। राजेश बैठिए। मैं करता हूं निर्णय। मैं निर्णय कर रहा हूं। आप बैठिए। मैं समझ रहा हूं भावनाएं आपकी। आप बैठिए तो सही एक बार। आप बैठिए मैं कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आप एक बार बैठेंगे सही, तभी तो मैं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** ऐसा नहीं। आप एक बार जाकर कुर्सियों पर बैठें। अपने स्थान पर बैठें। मुझे निर्णय लेने दीजिए। आपने कहा है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हू। एक बार बैठें प्लीज। मेरा भी तो कुछ विषय रखें न। एक बार बैठिए प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हू। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठ जाइए। जगदीप जी, हां मैं कर रहा हूं बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं जब आग्रह कर रहा हूं कि बैठिए। मैंने आपकी बात को समझा है तो एक बार बैठें तो सही।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** हाँ तो बैठिए न एक बार कुर्सी पर तो बैठिए। ऐसे खड़े होकर के चर्चा थोड़ी हो पायेगी।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सरिता जी, अब वो बैठ जाएंगे प्लीज। चलिए। माननीय सदस्य बैठें सभी। बैठिए प्लीज। आप बैठिए। चर्चा में रखियेगा। चर्चा में आपका आयेगा। बैठिए। आप लोग बैठ जाइए। प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** भई राजेश जी, बैठ जाइए। अब छोड़ दीजिए उनको। जरनैल जी, बैठिए आप। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझ रहा हूं।

सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में आकर नारेबाजी।)

**अध्यक्ष महोदयः** पूरी दिल्ली इससे पीड़ित है।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में आकर नारेबाजी)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं अभी किसी को एलाउ नहीं कर रहा हूं। जब तक सदन शान्त नहीं होता।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सिरसा जी, बैठिए प्लीज उनको बैठाया तो आप खड़े हो रहे हो। आप बैठिए। मैंने किसी को एलाउ नहीं किया अभी। आप बैठिए प्लीज। विजेन्द्र जी बैठिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मुझे अपनी बात करने देंगे?

... (व्यवधान)

मुझे अपनी बात करने देंगे। विजेन्द्र जी, बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं सदन की भावना को समझते हुए ये सूचीबद्ध था। दिल्ली में सीलिंग सूचीबद्ध था लेकिन मैं माननीय सदस्यों की भावना को समझते हुए सीलिंग पर चर्चा शुरू करवा रहा हूँ।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीप जी, बैठिये प्लीज। इनको वापस करिये। जगदीप जी, अपनी कुर्सी पर चलिये आप। मैंने बोल तो दिया, बैठिये। इसको नीचे करिये। जगदीप जी, आप बैठ जाइये प्लीज। आप बैठ जाइये। जब चर्चा आरंभ होगी, वो लाएंगे।

... (विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन के वेल में अध्यक्ष महोदय के आसन तक आये।)

**अध्यक्ष महोदयः** श्री मदन लाल जी, चर्चा आरंभ करेंगे। मैंने बोल दिया नाम, मदन लाल जी का नाम बोल दिया।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** बैठिये, पता नहीं किसकी कितनी फाइलें कहां–कहां पड़ी हैं। बैठिये जरा। यह सीलिंग पर ही है ना। सीलिंग पर ही तो चर्चा है 351, आपको मौका मिलेगा दीजिएगा। आप करिये, बैठिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सिरसा जी, आप यह बताइयेगा, अगर आपको यह लगता है कि 351 जो सड़कें नोटिफाइड नहीं हुई, उन पर सीलिंग हो रही है, आप करियेगा बात। आप स्टेटमेंट दीजिएगा, हां, आपको मौका दूंगा चर्चा में। मैं चर्चा का मौका दूंगा। यह सीलिंग में ही तो है और क्या है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आप प्लीज बैठिये। ऐसा है सिरसा जी, मैंने देखा हुआ है सारा स्टडी किया हुआ है, मुझे मालूम है सारा। आपको चर्चा का समय मिलेगा उसमें बात रखिये। सीलिंग पर चर्चा का मौका मिलेगा उसमें रखियेगा। श्री मदन लाल जी।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** यह फ्लेक्स जरा फोल्ड करके रखें। जगदीप जी, बैठिये। सोमदत्त जी, बैठ जाइये। जगदीप जी, यह क्या हो रहा है, इनको बैठाइये अंदर।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीप जी, यह क्या हो रहा है, आप बैठिये, जरनैल जी, बैठिये प्लीज। जगदीप जी, आप बैठ जाइये। इनको बैठाइये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** बैठ जाइये प्लीज। मदन लाल जी, शुरू करिये। आप चर्चा शुरू करिये।

**श्री मदन लालः** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** चलिये, चलिये, मदन लाल जी आप शुरू करिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं आपको इस पर चर्चा का मौका दूंगा, आप बैठ जाइये। सिरसा जी, मेरी बात समझ लीजिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी, आप बैठेंगे, मैं इस पर चर्चा का मौका दूंगा आपको।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं चर्चा का मौका दूंगा, आप बोलियेगा। मैं समय दूंगा आपको। जब मैं कह रहा हूं, समय दूंगा, 351 पर जो आप कह रहे हैं, मैं बोलने का मौका दूंगा, बैठिये। मैं अनाउंस कर रहा हूं और क्या करूंगा। उनको अनाउंस किया है। बैठिये आप। मैं अनाउंस कर रहा हूं कि इस पर मैं चर्चा का मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आप पहले बैठिये। पास ऐसे नहीं होता है। आप बैठिये पहले।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मेरी बात सुनिये विजेन्द्र जी, आप बैठेंगे। मैं सरकार से जब जवाब देने को कहूंगा वो देंगे, आप बैठिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** चलिये मदन लाल जी, आप बोलिये। हाँ, सरकार जवाब देगी, हम दिलवाएंगे जवाब। चर्चा तो शुरू होने दो।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, अगर ये नहीं बैठेंगे तो हम भी नहीं बैठेंगे।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी, मैंने आश्वासन दिया हैं, मैं इस पर समय दूंगा, बातचीत रखने का। सदन में चर्चा होती है, ऐसे नहीं होता है, सदन में चर्चा होती है, ऐसे नहीं होगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैजोरिटी चाहती है या नहीं चाहती है। आप चर्चा भी नहीं चाहते, आप कहते हैं पास चाहते हैं, पास तो हाउस ने करना है ना।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मंत्री जी को इजाजत जब दूंगा तब बोलेंगे। पहले विषय तो आए चर्चा में।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** पहले इसमें विषय तो आना चाहिए। मैं समय दे रहा हूं आपको। आप उठाएगा कायदे से। आप बैठिये, मैं आपको बुलाता हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** अरे, मैं कह रहा हूं, आपको बोलने का मौका दूंगा, आप बैठिये। मैं कह रहा हूं, बोलने का मौका दूंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** ऐसा है आप बैठिये कुर्सी पर, मैं इस विषय को उठाने का अवसर दूंगा। चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद सदन चाहेगा, पास होगा। मेरी बात समझ लें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मिनिस्टर कैसे आश्वासन दे देंगे, सदन आश्वासन देगा। अभी आप बैठिये वहां पर।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** जगदीश जी, यह सीलिंग कारपारेशन चुनाव से पहले क्यों नहीं शुरू की थी? यह तीन साल से फाइल पड़ी है कारपोरेशन चुनाव से पहले क्यों नहीं शुरू की थी? आप बोल रहे हैं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आप बैठिये। आप कह रहे हैं ना, तो सीलिंग पहले क्यों नहीं शुरू किया। बैठिये। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, बैठिये। मैं चर्चा करवाऊँगा, इस पर मैं चर्चा करवाऊँगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** यह पास होना, नहीं होना यह सदन पर निर्भर करता है। मुझ पर या आप पर या मंत्री पर नहीं। आप चर्चा करेंगे ना?

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मंत्री क्यों स्टेटमेंट देंगे, मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। किसी भी समस्या का हल चर्चा से निकलता है, स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा। मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। बैठिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** देखिये, सिरसा जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप विषय लेकर आ रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** हां, यही विषय, आप निर्णय कर लीजिए, पहले निर्णय कर लीजिए दोनों। क्या करना है आप निर्णय करके आ जाइये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आप दोनों में सहमति नहीं है, क्या करना है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं कह रहा हूं मैं चर्चा करवा रहा हूं। हां, इस पर चर्चा करवा रहा हूं। चार बार कह चुका हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं कह रहा हूं चर्चा करवा रहा हूं इस पर। सिरसा जी, विजेन्द्र जी।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

**अध्यक्ष महोदयः** देखिये, मैंने आश्वासन दिया है, इस पर आप विषय रखियेगा, मैं समय दूंगा चर्चा करवाने का। इस पर चर्चा करवाने का समय दूंगा। मैं किसी मंत्री को, मेरी बात सुन लीजिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** वो अपने वक्तव्य में,

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सिरसा जी, आप यह गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। /320/

**(सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में आये)**

**अध्यक्ष महोदयः** मैं हाउस को फिर 15 मिनट के लिए एडजोर्न करता हूं। हाउस 15 मिनट के लिए एडजोर्न किया जाता है। विजेन्द्र जी, जगदीप जी एक बार मेरे आफिस में आ जाएं।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

**सदन अपराह्न 3.41 बजे पुनः समवेत हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल ) पीठासीन हुए।**

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से देखिये विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए मैं आपको कह चुका हूं । मैं ये आश्वासन देता हूं। मैं ये आश्वासन देता हूं कि मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा। मैं मंत्री का जवाब में प्रैशराईज नहीं कर सकता। मैं मंत्री जी को जवाब देने को प्रैशराइज नहीं

कर सकता। मैं मंत्री जी का जवाब देने को प्रैशराइज नहीं कर सकता। श्री मदन लाल जी

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** नहीं मैं इस पे चर्चा करवाऊंगा । मैं कह रहा हूं 351 सड़कों पर मैं चर्चा करवाऊंगा ।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मंत्रीजी को देखिये मेरी बात सुनिये मैं मंत्री जी बयान दें। मंत्रीजी बयान दें इसके लिए मैं उनको प्रैशराइज नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से देंगें। वो अवश्य देंगें मुझे लगता है लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसे सदन नहीं चलता कि कोई आके नेता विपक्ष ये कहे कि प्रधानमंत्री ये बयान दे। वो बयान देना ना देना उनकी इच्छा पर निर्भर रहता है लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा दिल्ली के हित में वो बयान देंगे। मुझे लगता है वो बयान देंगे। लेकिन आप चर्चा करिये इसकी । आप चर्चा करिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** नहीं मैं 54 में नहीं लूंगा । मेरा एक बार निर्णय हो गया वो हो गया ।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** हां मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। मैं चर्चा करवाउंगा। आप चर्चा से भाग रहे हैं। मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं आप चर्चा से भाग रहे हैं। मैं पूरे सदन के सामने आश्वासन दे रहा हूं। मैं एक बार निर्णय जो ले चुका वो ले चुका उसको मैं पलटूंगा नहीं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** नहीं बिल्कुल नहीं। ओम प्रकाश जी मैं एक निर्णय ले चुका हूं उसको मैं दोबारा नहीं करूंगा। हां ये 351 सड़कों को लेकर मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। मैं चर्चा करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** आश्वासन दे रहा हूं। अगर आप भाग रहे हैं चर्चा से तो भागिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं नेता विपक्ष को सिरसा जी को कि 351 पे चर्चा करवाऊँगा। आप सदन की कार्यवाही चलने दें ठीक से।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** भई अब मैं बार–बार आग्रह कर रहा हूं कि मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा। आपका जो विषय है मैं इस पर चर्चा करवाऊँगा, मैं कह रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये 351 जो सड़कें नोटिफाईड होनी हैं, मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा । आप चर्चा से भाग रहे हैं। आप चर्चा से भाग रहे हैं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी, मुझे लगता है सीलिंग पे विपक्ष चर्चा नहीं

चाहता। मुझे लग रहा है सीलिंग पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। मैं आग्रह कर रहा हूं आप बैठिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी, आप चाहते क्या हैं ये बताइये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जब कह रहा हूं मैं चर्चा का आश्वासन दे रहा हूं। आप चर्चा चाहते नहीं हैं। आप चर्चा नहीं चाहते। कन्वर्जन से आप भाग रहे हैं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** सिरसा जी, सिरजा जी मैं आश्वासन दे रहा हूं चर्चा करवाऊंगा इस पर । मैं चर्चा की आश्वासन दे रहा हूं। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं। आप चर्चा करवाना नहीं चाहते।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मुझे लगता है विजेन्द्र जी चर्चा नहीं करवाना चाहते।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं सरकार। मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। मैं इसको चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी मैं चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं। 351 पर, ये कोई तरीका नहीं है। ये मैं निर्णय नहीं बदलूंगा । मुझे मजबूरन

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी, मैं आग्रह कर रहा हूं। इस पर चर्चा करवाने का आश्वासन दे रहा हूं।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं वो बैठें।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठें।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष कई सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं हाउस पुनः सवा चार बजे तक सवा चार बजे तक के लिए एडजॉर्न करता हूँ।

**सदन अपराह्न 4.20 बजे पुनः समवेत हुआ।**

**अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।**

**अध्यक्ष महोदयः** श्री मदन लाल जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी...

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र जी देखिए मैं, देखिए मुझे अब मजबूर न करे प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: देखिए, दो घंटे सदन के, दो घंटे ...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, फैसला दे दिया मैंने। मैंने फैसला दिया...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: सुन लीजिए एक बार।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता**: अध्यक्ष जी, ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: एक बार विजेन्द्र जी सुन लीजिए...

... (व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता**: आपने पढ़ा था तो ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं पढ़ चुका हूं, आप भी पढ़ चुके है। मैं डिसएलाउ कर चुका हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: लेकिन ये विषय मैं सदन को आश्वस्त कर चुका हूं, आपको आश्वस्त कर चुका हूं, इस पर मैं चर्चा करवाऊंगा...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: 351 सड़कों पर मैं चर्चा...

... (व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : इसमें साइन होने है, क्या होने हैं?

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, आप पॉलिटिक्ली मुद्दा उठा रहे है। मदन लाल जी आरंभ करिये।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मदन लाल जी, आप आरंभ करिए प्लीज। मुझे मजबूर मत करिए विजेन्द्र जी, मैं नहीं चाहता...

... (व्यवधान)

**श्री मदन लाल**: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ... (व्यवधान)

(विपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आ गए)

**अध्यक्ष महोदय**: ना ये कोई बाउंडेशन नहीं है। मदन लाल जी आप शुरू करिए, चर्चा शुरू करिए। प्लीज...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: सिरसा जी, मैंने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा** : चर्चा आप उनके मुद्दे पर ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, आप पर भी मैं कह रहा हूं चर्चा करवाऊंगा। ये कह के चर्चा करवाऊंगा।.

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं 54 पर एक्ससेप्ट नहीं करूंगा। मदन लाल जी आप शुरू रखिए।

... (व्यवधान)

**श्री मदन लाल** : एमसीडी द्वारा...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: विजेन्द्र जी, मैं एलाउ नहीं करूंगा। देखिए मुझे मजबूर होकर...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, जो आप चाहते है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: ना, आपके लिए...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: ना, मैंने दो बार आपकी बात पे भी, दो बार सदन में बुलाया है, हां शुरू करिए...

... (व्यवधान)

**श्री मदन लाल** : रोजी रोटी छीनी जा रही है।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी वैल में आए और नारे लगाने लगे)

**अध्यक्ष महोदय**: मदन जी शुरू रखिए आप। ...

... (व्यवधान)

**श्री मदन लाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र में...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मदन लाल जी शुरू रखिए। आप शुरू रखिए मदन लाल जी।

... (व्यवधान)

**श्री मदन लाल** : डिफेंस कॉलोनी वहां...

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री** : अध्यक्ष महोदय,

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: एक सैकेंड, सौरभ जी, सौरभ जी, माननीय मंत्री जी खड़े हुए है। विजेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी खड़े हुए है, दो मिनट के लिए बैठ जाइये। चेयर पर तो बैठिये।

... (व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : नहीं–नहीं, ... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: चेयर पर भी नही?

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मतलब डिप्टी सीएम खड़े हुए है, कमाल की बात है!

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप बैठिए तो सही। अरे डिप्टी सीएम खड़े हुए है आप बैठिए। कमाल की बात है! इतना भी आपको वो नहीं कर रहे!

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: क्या आश्वस्त, ...

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: अध्यक्ष महोदय, ...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: डिप्टी सीएम खड़े हुए है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं फैसला सुना चुका, आप नहीं मान रहे है।

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि साढ़े तीन सौ सड़कों के नोटिफिकेशन को रोकने में इनकी और इनकी पार्टी की...

... (व्यवधान)

**उप मुख्यंत्री (श्री मनीष सिसोदिया)**: नगर निगमों में क्या घपला हुआ है इन 351 सड़कों को लेकर उसका सारा काला चिट्ठा हम खोलेगे इसी सदन में आप बैठो थोड़ी देर। बैठो थोड़ी देर। खोलेगे आपके सामने आप ही के कुकर्मो को खोलेंगे।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप चर्चा नहीं चाहते?

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: इन 351 सड़कों के व्यापारियों को कैसे ठगा है इन लोगों ने...

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: 351 सड़कों के व्यापारियों को ठगा है भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे ठगा है, मैं चुनौती देता हूं हिम्मत है तो बैठिए इस सभा में यहां पर।

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: हिम्मत है तो यहां पर सभा में बैठकर सुनिये कैसे ठगा है। आपके सारे काले कारनामों...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: जगदीप जी, आप बैठिए। जगदीप जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे है ना।

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: 351 सड़कों के व्यापारियों को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ठगा है, ऑन रिकार्ड कह रहा हूं यहीं जवाब देंगे, हिम्मत है तो बैठिए सदन में, बाहर जाने के बहाने मत ढूंढिए।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: सिरसा जी, ये सदन 351 पर चर्चा करना चाहता है। ये सदन 351 पर चर्चा करना चाहता है। मैं एक्ससेप्ट कर रहा हूं 354, 351 सड़कों की चर्चा को मैं एक्ससेप्ट कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: ये सदन चर्चा करना चाहता है। मैं जानकारी ले चुका हूं। आप उस चर्चा से भाग रहे है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं चाह रहा हूं चर्चा हो। मैं चाह रहा हूँ चर्चा हो इस पर।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैंने आश्वासन दिया है। आपको आश्वासन दिया, मैं चर्चा करवाऊंगा। 54 में चर्चा नहीं है, 54 में चर्चा नहीं है।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं बार–बार आश्वासन दे रहा हूं मैं चर्चा करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: अध्यक्ष महोदय, 351 सड़कों पर इनके सारे काले कारनामों का खुलासा करेंगे।

... (व्यवधान)

**उप मुख्यमंत्री**: अरे! बताइयेगा, बैठिए कुर्सी पर, जब आपके पास बोलने का मौका आएगा। सीलिंग पर चर्चा कराओ, सीलिंग में 351 का मुद्दा आएगा, सीलिंग पर चर्चा कराओ, सीलिंग में 351 का जवाब भी दिया जाएगा पर सीलिंग से चर्चा से भागने के बहाने शोर मचा रहे हैं।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के भी कुछ सदस्य वैल में आ गए और नारे लगाएं)

**अध्यक्ष महोदय**: सिरसा जी, आप चाहते थे मंत्री जी जवाब दे। मंत्री ने स्वीकार कर लिया, जवाब देंगे। मैंने स्वीकार कर लिया 351 की मैं चर्चा करवाऊंगा...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं चर्चा एक्ससेप्ट कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: ना, 54 में नहीं। मैं चर्चा एक्ससेप्ट कर रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, सरकार कोई नहीं डर रही, आप डर रहे है। आप डर कर भाग रहे हैं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप चाहते है 54 में एक ही आदमी बोले, चर्चा ना हो।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप डर रहे है इसमें। विपक्ष दिल्ली की जनता के सामने तथ्य को नहीं आने देना चाहता।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप मत बोलिए इसमें प्लीज।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मैं दो बार अपने कक्ष में आश्वासन दे चुका हूं। मैं 351 सड़कों पर चर्चा करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: वो उत्तर देंगे।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: ऑन रिकार्ड उत्तर देंगे ना जी। ऑन रिकार्ड उत्तर देंगे।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप बैठिए। ऑन रिकार्ड उत्तर देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: अब मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं, बहुत सुन चुका। मुझे ढ़ाई घंटे हो गए, ढ़ाई घंटे से मैं सुन रहा हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। वो क्या कह रहे है, नहीं कह रहे है। वो अधिकश्त नहीं है अभी। वो बाद में मैं सुनूंगा क्या कह रहे है। नहीं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं इस पर अभी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूं। मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा। मैं इतना कह सकता हूं।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: 351 पर मैं कह रहा हूं, आप बैठिए, मैं चर्चा कराऊंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं बैठा हूं चर्चा करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता**: वो कह रहे है मैं सीलिंग करवाऊंगा।

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: चलिए हो सकता है, वो कह रहे हो, आपने सुना होगा।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा वैल में नारे लगाए गए)

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: भारद्वाज जी, माननीय मंत्री जी कुछ बोल रहे है...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप बोलने दीजिए ना उनको। आप आरोप भी लगा रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी को प्रार्थना कर रहा हूं बाहर जाए। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी बाहर जाए, श्री विजेन्द्र गुप्ता जी...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: विजेन्द्र गुप्ता जी आज की कार्यवाही से बाहर जाए

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मार्शल्स प्लीज...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** विजेन्द्र गुप्ता जी, मैंने मार्शल्स को बुलाया है, आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे, आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** नहीं, अब बाहर जाइये प्लीज...

... (व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स श्री विजेन्द्र गुप्ता को सदन से बाहर ले गए)

**अध्यक्ष महोदयः** मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूं, मुझे बोलने मत दें लेकिन मंत्री को न बोलने दें आप! मंत्री को बोलने नहीं दे रहे आप, मंत्री को बोलने नहीं दे रहे आप, मंत्री को उत्तर नहीं देने दे रहे...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** नहीं, गुंडा गर्दी हो रही है, मंत्री को बोलने नहीं दे रहे...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदयः** मेरी बात सुनिये, सिरसा जी, ये गुंडा गर्दी नहीं चलेगी। ये गुंडा गर्दी नहीं चलेगी। आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मार्शल्स बाहर करें...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: सिरसा जी को बाहर करे। मार्शल्स सिरसा को भी बाहर करें। गुंडा गर्दी की हुई है आपने...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे। मैं जब से प्रार्थना किए जा रहा हूं। बाहर करें सिरसा को...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे। सिरसा जी आउट, प्लीज आउट। आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे, ये गुंडा गर्दी कर रहे हैं आप, गुंडा गर्दी कर रहे हैं सदन में, मंत्री को बोलने नहीं दे रहे...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: मैं चार घंटे से सहन कर रहा हूं आप मंत्री को बोलने नहीं दे रहे। आप चर्चा से भाग रहे हैं...

... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय**: आप चर्चा से भाग रहे हैं...

... (व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स माननीय सदस्य श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा को बलपूर्वक सदन से बाहर ले गए)

(श्री ओम प्रकाश शर्मा और श्री जगदीश प्रधान का विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन)

**अध्यक्ष महोदयः** दो मिनट बैठिए। माननीय सदस्य बैठ जाएं प्लीज।

**उप मुख्यमंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि ये सारा मुद्दा, सीलिंग का मुद्दा एक दम 351 सड़कों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये इसमें से भागना चाह रहे थे चर्चा में से, इनकी सोची–समझी रणनीति है कि सदन में हंगामा करो, ताकि... और इतना हंगामा करो की मजबूर हो के आपको इतना सख्त कदम उठाना पड़े। ये इस चर्चा में शामिल होने की हैसियत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे ही दिल्ली में, जैसे ही 351 सड़कों की और सीलिंग की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी के पास में न 351 सड़कों का जवाब है और न सीलिंग का जवाब है। सीलिंग दिल्ली को सुरक्षा देने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी पैसा कमाने के लिए कर रही है। 351 सड़कों के मसले को भी 2007 से आज तक लटका के रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के इस मुद्दे को लटका के रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी 351 सड़कों पे काम कर रहे व्यापारियों का व्यापार फलने–फूलना नहीं देना चाहती, उनको दुधारू गाय बनाके रखना चाहती है, उनसे हमेशा शोशण करना चाहती है उनका, पिछले 2007 से आज तक इन्होंने उन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया और आज जब उनपे बात होने जा रही है, सीलिंग पे बात होने जा रही है तो सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे। मैं कहना चाहता हूं जरूर सुन रहे होंगे उधर, कि 351 कुछ सड़कों पे भी चर्चा करो, सीलिंग पे भी चर्चा करो और जवाब दो जनता जवाब पूछना चाहती है कि 11 साल से तुमने किया क्या है 351 सड़कों के लिए? नगर निगम में कैसे इन 351 सड़कों पे रह रहे व्यापारियों को दुधारू गाय बनाके रखा गया है, जानबूझ के इनका मामला अधर में लटका के रखा गया है,

क्यों नहीं जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम 351 सड़कों पे, क्यों नहीं जवाब देती है सीलिंग पे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब इनका एक ही और हकीकत कोई कबूल नहीं सकता की ये पैसे कमा रहे हैं उनसे, 351 सड़कों के व्यापारियों से भी कमा रहे हैं और सीलिंग के बहाने भी कमा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा 351 की चर्चा निश्चित रूप से इसमें आएगी और मानीय मंत्री समय आने पे बात भी रखेंगे कि 351 की कहानी क्या है और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को छला है 351 सड़कों पे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पे चर्चा कराएं।

**अध्यक्ष महोदयः** धन्यवाद। मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने 351 की चर्चा करवाना स्वीकार किया, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष नहीं माना, मैंने ये भी स्वीकार किया, मंत्री उत्तर देंगे। तो भी नहीं माने वो। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। मैं नहीं चाहता था कि बाहर जाएं, मैं चाहता था सुनें। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री को बोलने न दें, मुझे नहीं बोलने दे रहे। मैं स्वीकार कर सकता हूं लेकिन मैं किसलिए बैठा हूं यहां, माननीय उप मुख्यमंत्री को बोलने न दें, सदन को हाईजैक करें, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये लोकतंत्र की हत्या है और आज ये लोकतंत्र की हत्या इन्होंने की है। दिल्ली की जनता देख रही है कि माननीय उप मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। ये असहनीय है मेरे लिए, पूरे सदन के लिए, पूरी दिल्ली की जनता के लिए! मैं चर्चा आरम्भ कर रहा हूं श्री मदनलाल जी।

# अल्पकालिक चर्चा (नियम – 55)

**श्री मदनलालः** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने दिल्ली में जिस तरीके से व्यापारियों के आज रोजी–रोटी का जो साधन था, उनको एमसीडी ने और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलकर जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से एक्सटॉर्शन का तरीका अपनाकर उनकी सभी दुकानों को, उन दुकानों के ऊपर बने हुए ऑफिसीज को एक मनमाने तरीके से सील करना शुरू किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ज्वलंत टॉपिक को, आज हम सब लोगों को इस पर बोलने का मौका दिया है जिससे लोगों को पता चले कि इससे क्या–क्या रिप्रकशंस होंगे, इससे किन–किन लोगों को क्या–क्या कठिनाई होगी।

महोदय, मेरी कान्सीटयून्सी में दो मार्किट हाल ही में एमसीडी ने बेतरतीब तरीके से, मनमाने तरीके से सील की हैं, उनमें एक कालोनी है डिफेंसे कालोनी की। डिफेंस कालोनी दिल्ली के सबसे ज्यादा पॉश एरियाज में एक है जिसकी मार्किट रिफ्यूजीज को जो 1948 में पाकिस्तान से माइग्रेट होकर दिल्ली में आए, उनके लिए एक मॉर्किट का ढांचा तैयार किया गया था और ये तैयार किया था उस समय की तत्कालीन सरकार ने। डिफेंस कालोनी में रिडवलेपमेंट और ऑक्शन के तहत 20/11/1957 को मिनिस्टरी ऑफ रिहैबीलीटेशन ने इन लोगों को जो डिफैंस कालोनी के शॉपकीपर्स हैं, वो शॉप एलॉट की थी ऑक्शन में। ये समय था 20 नवम्बर,1957 का। एमसीडी जो 20 नवम्बर, 1957 में आई। एमसीडी 28 दिसम्बर, 1957 में एग्जिस्टैंस में आई और ये दुकाने डिफैंस कालोनी वालों को एलॉट की गई। 20 नवम्बर,1957 को अर्थात् जिस समय एमसीडी बनी भी नहीं थी, तब इस मार्किट का आयाम हुआ और उसके बाद 1958 में एक कॉरिजैंडम के थ्रू

इस कालोनी को पूरे अधिकार दिए गए कमर्शियल एक्टीविटीज के। चाहे वो दुकान के हों या दुकान के ऊपर के और कॉरीजैंडम जो ऑर्डर नम्बर था 7/79, 23/3/79 का उसकी मैं एग्जैक्ट लाईन पढ़ रहा हूं: ***"That the cost of the land in such cases was however recovered on commercial rates and the execution of the supplementary lease providing the youth a shop commercial, need not be insist upon."*** इसका मतलब ये था कि उन लोगों को जो केवल शॉप चला रहे थे बल्कि उसके ऊपर की जो जगह थी, उसके भी कमर्शियल रूप से रेटस से लिए जा रहे थे तो उसको कमर्शियल की गिनती में गिन लिया गया।

स्पीकर साहब, उसके बाद एलएनडीओ ने एक ऑर्डर पास किया और उसमें कहा कि: ***"The principal deed shall be so read and construed as in the principal deed. The word house/quarter/flat/residential used may be read as shop commercial whenever, whatever the same occurs."***

इसका मतलब ये था कि दुकान के ऊपर का जो ऊपरी पोर्शन है, वो भी कमर्शियल की तरह ट्रीट किया जाएगा और सरकार उसी के हिसाब से उनसे उसके चार्जिज लेती रही। एमसीडी जब से आई, एक स्पलीमेंटरी डीड एक्जीक्यूट हुई और उसमें भी लिखा: ***"The principal deed shall be so read and construed as in the principal deed. The word house/quarter/flat/residential used may be read as shop commercial wherever the same occurs."*** इसका मतलब था कि उन्होंने भी मान लिया कि जो दुकाने हैं, इसके ऊपर का भी जितना हिस्सा है वो सारा कमर्शियल की तरह ट्रीट किया जाएगा। परन्तु उससे पहले जो 24/3/2006 को जब एमसीडी के हाथ में इस जगह के रख-रखाव की जिम्मेवारी आई तो 24/3/2006 के बाद एमसीडी इसकी देखभाल करने लगी परन्तु उस समय भी इन पर कोई

ऐसी आंच नहीं आई जो आज सीलिंग की आई है। तत्कालीन लैफ्टीनेंट गवर्नर ने 2010 में एमसीडी को डायरेक्ट किया था कमिश्नर को ***"Not to take any action against the said notices as the original lesser of the land that is L&DO has allotted this property as shop/commercial."***

जब 2006, 2010 में भी, 2006 में एमसीडी के पास में आने के बाद, 2010 में एलजी के ऑर्डर के बाद ये जमीन मालिकों को मालिकाना हक मिल गया, उसके बाद एलजी ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि ये जो ऊपर की दुकान और ऊपर का जो हिस्सा है, वो कमर्शियल यूज में होगा तब ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही थी कि अचानक 2017, 2018 में ये कमेटी 2018 में जब दुबारा रिवाइव हुई तो इसने सबसे पहले एमसीडी की नाजायज कमाई करवाने को... ये एस्टॉर्शन का तरीका है सीधे–सीधे। एक हजार करोड़ रुपए पहले उगाही का खा गए। उसका कोई हिसाब नहीं है और एक बार दुबारा इन्होंने उन दुकानों को सील करना शुरू कर दिया, जबकि सारे डाक्यूमेंट गवर्नमेन्ट के हैं, गवर्नमेन्ट से गवर्नमेन्ट के पास डाक्यूमेंट हैं, गवर्नमेन्ट से गवर्नमेन्ट कम्युनिकेशन है, एलजी इस देश के, दिल्ली के हैं, दिल्ली के हैड हैं तब भी जब 2010 में उन्होंने ऑर्डर लगाया और आज भी हैं। तब भी उसके बाद इन्होंने 152 दुकानें वहां सील कर दी हैं। ये सील करने का तरीका केवल एक तरफा है, एक्सटॉर्शन और वो एक्सटॉर्शन का तरीका सबसे ज्यादा है, अच्छा कि दुकानदारों की दुकानों को सील करो, पहले 97000 रुपए पर स्क्वै. यार्ड मांग रहे थे, अब घटाके जब लोग रोए बहुत ज्यादा चिल्लाए और बीजेपी को अपना वोट बैंक सरकता नजर आया तो कर दिया 27274 रुपए। अभी दे दो और इस शर्त के साथ दे दो, एक गारंटी दे दो कि जब भी डीडीए जो रेट लगाएगी, आप उसे भी दोगे इसका मतलब 97000 पर स्क्वै. यार्ड की तलवार, जो पहले लटक

रही थी, जो सील करते वक्त लटक रही थी, वो आज के दिन भी लटक रही है और दुकानदारों को कहा जा रहा है कि केवल सील आप तब तोड़ेंगे जब आप पहले इतने पैसे जमा कर दोगे। कोई उस ऑर्डर को देखने के लिए तैयार नहीं है, एलजी के उस ऑर्डर को जो उन्होंने 2010 में पास किया, नहीं किया। सर, मेरे एक इलाके में दूसरी एक मार्किट है; मेहरचन्द मार्किट। 1948 में रिफ्यूजी दिल्ली आना शुरू कर दिए। उन लोगों को तत्कालीन सरकार ने हट्स बनाकर दी मेहरचन्द मार्किट में। मेहरचन्द मार्किट में जब हट्स बनी तो वो लोग उन हट्स में अपना दुकानदारी का काम करने लगे और वहां जो रिफ्यूजी थे 1948 में आए, वो उन हट्स में काम चलते रहे और पहली बार 1963 में सरकार ने जब मेहरचन्द खन्ना जी तत्कालीन गर्वमेंट में मंत्री थे और वो भी रिफ्यूजी थे उन्होंने उनका दुख समझकर, उनका दर्द समझकर उन लोगों को एक इज्जत बख्शने के लिए, वहां उस मार्किट का निर्माण करवाया और उस मार्किट का निर्माण कराते वक्त उन्होंने वे दुकानें पक्की कर दीं। ये बात थी 1948 के बाद 1963 की और उन लोगों से मंथली किराया लेते रहे वो 43 रूपये।

सर, 1979 में केबिनेट ने एक ऑर्डर पास कर दिया और इन लोगों को इस जगह का पूरा किराया पूरा मालिकाना हक देने के लिए साढ़े चार लाख रूपये पर दुकानदार से वसूले। साढ़े चार लाख देने के बाद उस दुकान के उन लोगों को तब भी लीज होल्ड मानते रहे कि ये प्रापर्टी लीज होल्ड पर है। परन्तु वो 2006 तक आते आते ऑनरेबल सर, उन लोगों को फ्री होल्ड के अधिकार दे दिए गए।

एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि दिल्ली में एक ऐसा कानून है एमसीडी के लिए कि जैसे ही कोई जमीन का मालिक हो जाता है अगर कोई एक आदमी दूसरी जगह रहता हो तो वो साढ़े पन्द्रह मीटर या साढ़े

सत्रह मीटर जो अभी का कानून है उसके हिसाब से उस जमीन का उपभोग कर सकता है। पर मेहरचन्द मार्किट के आदमी को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है । उन लोगों ने पूरी की पूरी जमीन के पैसे सरकार में जमा कर दिए 2006 में और 2006 में फ्री होल्ड होते ही वो जमीन के मालिक बन गए और उनको ऊपर के बनाने के, ना बेसमेंट में बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। जब उन्होंने बहुत ज्यादा रिजेंट किया तो 2008 में एमसीडी, एल एण्ड डीओ, डीडीए ने और सब मिलकर सीपीडब्ल्यूडी के साथ एक सलाह करके सीपीडब्ल्यूडी में एक नक्शा एमसीडी में प्रेजेंट किया कि इन लोगों को आखिरी होल्ड देने के बाद कंस्ट्रक्शन के अधिकार दे दो और वो अधिकार क्या था सर, वो अधिकार था कि बेसमेंट पूरी बनाने दो, ग्राउण्ड फ्लोर इनके पास है फर्स्ट फ्लोर पूरा बनाने दो और सेकेण्ड फ्लोर को आधा बन जाने दो। अगर ये कानून 2008 में एमसीडी ने मान लिया होता सेन्टर की गवर्नमैंट 2008 में इस कानून को पास कर दें कि इन लोगों को रिलीफ दे देती तो आज जो सीलिंग वहां हुई पिछले 10 तारीख को वो सीलिंग नहीं होती क्योंकि जितने दुकानदार है मेहरचन्द मार्किट के उन लोगों ने बेसमेंट बनाए हैं। वो बेसमेंट सीपीडब्ल्यूडी कह रही है बनाने की इजाजत दे दी जाए एमसीडी, डीडीए और एल एण्ड डीओ इसके लिए तैयार थे क्योंकि चारों की सहमति से बनी है। उन लोगों की दुकान के ऊपर पहला फ्लोर बना है। वो भी उस नक्शे में हैं कि इनको बनाने दिया जाए, उस फर्स्ट फ्लोर के बाद जो सेकेण्ड फ्लोर है जिसमें वो कहते हैं कि 50 परसेंट बनाने दिया जाए वो भी उन लोगों ने बनाया वो भी परमिटेड है। परन्तु चूंकि करप्शन है, एमसीडी कभी भी उस 2008 की जो चिट्ठी है सीपीडब्ल्यूडी की, उस पर कोई कार्य नहीं किया गया जानबूझकर होल्ड की गई पिछले 10 साल से और अब अचानक वो कमेटी जो 2008 में स्क्रेप हो गई थी वो 2018 में 17 में फिर रिवाइव हो गई और जैसे ही रिवाइव

हुई, उन्होंने सबसे पहले उन्हीं कालोनियों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो बिजनेस के सबसे बड़े सेंटर थे।

माननीय महोदय ये वो लोग है जो 1947 के पार्टिशन के बाद 1948 के दौरान हमारे देश में आए थे। ये हमारे अंग हैं, ये हमारे ही देशवासी है वो पहले जैसे रिफ्यूजी थे आज भी उसी तरह रिफ्यूजियों की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। चाहे वो डिफेंस कालोनी की मार्किट हो जैसा मैंने बताया 1948 में आई जैसे मेहरचंद मार्किट आई ऐसे बहुत सारे एरिये हैं। सबसे पहले चुन–चुनकर उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है जहां से सबसे ज्यादा रिकवरी हो सकती हो वे रिकवरी के कारखाने बन गए हैं। आज जिस तरीके की बात हो रही थी 351 की, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं अभी हैं नही, मेयर साहब थे सुभाष आर्य जी 2015 में अपने क्षेत्र की पूरी मार्किट इन्होंने कर्मशियल करा दी केवल एक मार्किट क्योंकि तब उनमें दम था। वही 351 को क्यों नहीं करा पाए? 351 कालोनियों का मामला 2007 से लंबित है, 2007 में हम नहीं थे, हम 2015 में आए हैं और 2015 के बाद जिस तरीके से उस मामले को लटकाया गया है, माननीय मंत्री जी यहां मौजूद है डिप्टी सीएम साहब ने भी प्रॉमिस किया है, उस पर चर्चा जरूर की जाएगी और उन्हीं सब बातों को उजागर किया जाएगा कि किस कारण उन कालोनियों को जानबूझकर सरकार के सामने नहीं लिया जा सकता क्योंकि उनको पता है कि अगर ये प्रपोजल गवर्नमैंट के सामने भी लाए गए तो ये पास कर दी जायेंगी और अगर पास हो गई तो उन पर ना तो राजनीतिक मुद्दा मिलेगा, न करप्शन करने का साधन मिलेगा।

माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज व्यापारियों का गला घोंटा जा रहा है जिस तरीके से ऐसे व्यापारियों का जो माइग्रेशन के बाद हमारे देश में अपना सब

कुछ छोड़कर पाकिस्तान से यहां आए, आज उनको, बजाय इज्जत देने के, बजाय उनकी रोजी–रोटी संवारने के, बजाय उनको एक इज्जत से जीने के बजाय उनकी रोजी–रोटी को सही से चलने देने के लिए ये गवर्नमैंट जो सेन्टर में बैठी है लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको इस बार इलेक्शन में कार्पोरेशन में जिताया था। ये सोचकर जिताया था कि शायद सेंटर में बैठे हुए लोग इन लोगों के साथ मिलके हमारे लिए कोई पालिसी तैयार करेंगे। पर बड़ें शर्म की बात है कि वो लोग जो सेंटर में बैठे हुए लोगों की मदद दे सकते हैं, क्योंकि ये सब्जैक्ट दिल्ली सरकार का नहीं है। इसको सेंटर ने अप्रूव करना था इन कालोनियों में जहां ये कनवर्जन चार्जिज चेंज करवाने थे जो 97 हजार से यहां 27 हजार तक आए। ये केवल सेंटर कर सकता है, डीडीए कर सकता है, एमसीडी कर सकता है पर बड़े शर्म की बात है आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी जिन लोगों की दुकाने बन्द हो गई है, उनके पास एक खतरा अपनी रोजी–रोटी का ही नहीं बल्कि जो लोग उस दुकानों में काम कर रहे थे रोज–मजदूर उनकी रोजी–रोटी का सवाल है और उन सबका सवाल है जो उन दुकानदारों से समान खरीद रहे थे क्योंकि मार्किट सबको चाहिए मार्किट हम सबको अपनी जरूरत की चीजे खरीदने के लिए भी चाहिए। 1948 में जो दुकान बनी है।

**अध्यक्ष महोदयः** कन्क्लूड करिए मदन लाल जी, प्लीज।

**श्री मदन लालः** आज 2018 में आबादी कई गुणा बढ़ी है, उसके हिसाब से दुकानें नहीं बढ़ी है। लिहाजा जरूरी है कि ऐसी दुकानों को तुरंत सेंट्रल गवर्नमैंट हस्तक्षेप कर जो हमें उम्मीद कम है, उन लोगों की रोजी–रोटी का, उनकी इज्जत का ख्याल करते हुए इन क्षेत्रों को तुरंत डिसीलिंग करें और

दिल्ली में जब तक कोई एक पालिसी न बने, तब तक कोई अगली सीलिंग नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं और इस सरकार का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस ज्वलंत मुद्दे पर यहां इस सदन को बुलाकर हम सबको चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया है आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदयः** मैं नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता जी, सिरसा जी उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि सदन में शांतिपूर्वक चर्चा में वो भाग लेने अन्दर आ सकते हैं।

## सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं माननीय मनीष सिसोदिया जी माननीय उप मुख्यमंत्री अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के वर्ष 2015–16 से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

**उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया):** अध्यक्ष महोदय शुक्रिया। मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2015–16 से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

**अध्यक्ष महोदयः** अब श्री राजेन्द्र पाल गौतम, माननीय अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री एवं सहकारिता मंत्री दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के वर्ष 2016–17 से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

---

1. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20340 पर उपलब्ध।

**अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम):** धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय मैं दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के वर्ष 2016–17 से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[2]

**अध्यक्ष महोदय:** अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय परिवहन मंत्री अंग्रेजी की कार्यसूची के बिन्दू क्रमांक–3 में दर्शाये गए अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदनों अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

**परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत):** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अंग्रेजी की कार्यसूची के बिन्दू क्रमांक–3 में दर्शाये गए अपने विभाग से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदनों/अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं:[3]

***Notifications on the Table of the House (Hindi & English Version).***

1. ***8th Annual Report of Geospatial Delhi Ltd. for 2015-16 alongwith abstract of Balance Sheet in Urdu & Punjabi.***
2. ***Separate Audit Report of DTC for 2015-16.***
3. ***Annual Accounts of DTC for 2015-16 and Delay & Review Statement of DTC for 2015-16.***
4. ***Annual Accounts and Audit Report of DTC Employees provident Fund Trust for 2014-15.***

---

2. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20341 पर उपलब्ध।

3. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20328–33 एवं 20337–39 पर उपलब्ध।

5. ***Notification No. F.Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/203 dt. 06/09/2017 regarding repeal of Notification No. F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/04 dt. 07/01/2014 and F.***

   ***Sectt/11/75/Tpt/97/975 dt. 18/02/2003 related to use of beacon lights on vehicles.***

6. ***Notification No. F. Sectt/11/75/Tpt/1997/Part-III/256 dt. 01/12/2017 regarding amendment/omission in rule 97 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 related to beacon lights on vehicles.***

7. ***Notification No. F. 17(330)/Plg./Tpt/2015/293 dt. 12/12/2017 regarding addition of three members in the State Road Safety Council.***

8. ***Notification No. F. 21/60/Secy/STA/2009/06 dt. 04/01/2008 regarding reconstitution of the State Transport Authority in GNCTD.***

4. ***Shri Satyendar Jain, Hon'ble Minister of Power*** ***laid copies of the following Reports and Notifications on the Table of the House (Hindi & English Version).***

1. ***Annual Accounts for the Year 2016-2017 of Delhi Electric Regulatory Commission.***

2. ***Annual Report of Delhi Transco Ltd. for 2015-16.***

3. ***15th Annual Report of Pragati Power Corporation Ltd. for 2015-16.***

4. ***Summary of 15th Annual Report of Pragati Power Corporation Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

5. ***15th Annual Report of Indraprastha Power Generation Company Ltd. for 2015-16.***

6. ***Summary of 15th Annual Report of Indraprastha Power Generation Company Ltd.***

   ***(Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

7. ***Summary of Annual Report of Delhi Transco Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

8. ***15th Annual Report of Delhi Power Company Ltd. for 2015-16.***

9. ***Summary of 15th Annual Report of Delhi Power Company Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

10. ***DERC Regulation Notification No.F.3(472)/Tariff/Engg./DERC/ 2016-17 /5475/2216 dt. 31, Jan, 2017.***

11. ***Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards)***

    ***Regulations, 2017 Notification No. 17(85) /Engg./ DERC/15-16/ 5109/999 dated 17.08.2017.***

12. ***Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2017***

    ***Notification No.F.3(512)/Tariff/DERC/2016-2017/5750/1082 dated 01.09.2017.***

13. ***Notification,"(Treatment of Income from other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee)(First Amendment) Regulations 2017"- No.F.3(470) /Tariff-***

    ***Engg./DERC/2016-17/5435/1729 dt.27/11/2017.***

14. ***Corrigendum No. F.17 (85)/Engg./DERC/2015-16/C.F.No. 5109/ 1428 dated 13.10.2017 regarding Supply Code and Performance Standards Regulations, 2017.***

15. ***Corrigendum No.F.3(472) /Tariff/Engg./DERC/ 2016-17/5475/ 2490 dated 10.03.2017 regarding Terms and conditions for Determination of Tariff of DERC.***

**अध्यक्ष महोदयः** अब श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय उर्जा मंत्री अंग्रेजी की कार्यसूची के बिन्दू क्रमांक–3 में दर्शाये गए अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदनों अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

**उर्जा मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन)**: अध्यक्ष महोदय, मैं अंग्रेजी की कार्यसूची के बिन्दू क्रमांक–3 में दर्शाये गए अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदनों अधिसूचनाओं की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं:[4]

1. ***Annual Accounts for the Year 2016-2017 of Delhi Electric Regulatory Commission.***

2. ***Annual Report of Delhi Transco Ltd. for 2015-16.***

3. ***15th Annual Report of Pragati Power Corporation Ltd. for 2015-16.***

---

4. पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–20318–29 पर उपलब्ध।

4. ***Summary of 15th Annual Report of Pragati Power Corporation Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

5. ***15th Annual Report of Indraprastha Power Generation Company Ltd. for 2015-16.***

6. ***Summary of 15th Annual Report of Indraprastha Power Generation Company Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

7. ***Summary of Annual Report of Delhi Transco Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

8. ***15th Annual Report of Delhi Power Company Ltd. for 2015-16.***

9. ***Summary of 15th Annual Report of Delhi Power Company Ltd. (Punjabi & Urdu) for 2015-16.***

10. ***DERC Regulation Notification No.F.3(472)/Tariff/Engg./DERC/ 2016-17 /5475/2216 dt. 31, Jan, 2017.***

11. ***Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 Notification No. 17(85) /Engg./ DERC/15-16/5109/999 dated 17.08.2017.***

12. ***Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2017***

    ***Notification No.F.3(512)/Tariff/DERC/2016-2017/5750/1082 dated 01.09.2017.***

13. ***Notification,"(Treatment of Income from other Business of Transmission Licensee and***

***Distribution Licensee)(First Amendment) Regulations 2017"- No.F.3(470) /Tariff- Engg./DERC/2016-17/5435/1729 dt.27/11/ 2017.***

14. ***Corrigendum No. F.17 (85)/Engg./DERC/2015-16/C.F.No. 5109/ 1428 dated 13.10.2017 regarding Supply Code and Performance Standards Regulations, 2017.***

15. ***Corrigendum No.F.3(472) /Tariff/Engg./DERC/ 2016-17/5475/ 2490 dated 10.03.2017 regarding Terms and conditions for Determination of Tariff of DERC.***

## अल्पकालिक चर्चा(नियम – 55) चर्चा जारी

**अध्यक्ष महोदयः** चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री अनिल कुमार बाजपेयी जी।

**श्री अनिल बाजपेयी**: सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया।

आदरणीय, मैं गांधी नगर, विधान सभा से आता हूं और जहां पर लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। रेडिमेड गार्मेंट्स की मार्किट है। सिलाई की मार्किट है सारी और आज स्थिति ये है कि सीलिंग के नाम पर लोगों का रोजगार बंद हो गया। एक से डेढ़ लाख लोग वहां पर रोजगार के लिए आते थे। आज स्थिति ये है कि 25 हजार से कम लोग वहां पर रोजगार के लिए आ रहे हैं। जिन दुकानों पर 15–15, 20–20 लोग काम करते थे। जिन फैक्ट्रियों में 40–40 लोग काम करते थे। मैं आदरणीय, आपको बताना चाहता हूं कि आज स्थिति ये है कि वहां पर दुकानदारों ने उन

लेबर को हटा दिया। वो कहते हैं कि जी, हमारे पास ऑर्डर नहीं है हमारे पास। हमारे पास काम करने के साधन नहीं हैं। जैसे ही दुकान खुलती है, वो कहते हैं, ''सीलिंग वाले आ गए।'' मैं एक बात और बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि अगर पूरी दिल्ली के अन्दर अगर सीलिंग के खिलाफ आवाज उठाई है तो गांधी नगर से हम लोगों ने आवाज उठाई। हमने हाउस के अन्दर और गांधी नगर विधान सभा में तीनों निगम पार्षदों के यहां हम लोग गये, हमारे लोग गये व्यापारी हमारे साथ थे, मार्किट एसोसिएशन के लोग हमारे साथ थे। हमने कहा, ''हमारा कसूर क्या है, हमको बता दीजिए।'' तो कहते हैं, ''जी, हमको तो पता ही नहीं कुछ।'' जा के हमने दिल्ली की ईडीएमसी की मेयर साहिबा हैं। हमने हमारे 25 मैम्बर आम आदमी पार्टी के एल्डरमैन्स सब मनोनित हमारे जो मैम्बर हैं, हम लोगों ने मेयर साहिबा से टाइम मांगा कि गांधी नगर के व्यापारी, जमनापार के व्यापारी आपके साथ सीलिंग के मसले पर बात करना चाहता हैं। 3.30 बजे का टाइम दिया गया। हम लोग 3.30 बजे उनके कमरे में पहुंचे सर, उसके बाद लोग आते रहे, उनसे मिलने जाते रहे। 4.15 बजे तक हम लोग उनके कमरे के अन्दर बैठे रहे और वो हमसे मिलने नहीं आईं। हम लोगों ने मीडिया वालों के सामने कहा और ये मेयर साहिबा का दर्शाता था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि हम व्यापार, व्यपारी के हितैषी हैं, हम व्यापारियों के साथ हैं। आज दिल्ली के अन्दर अगर आज सर्वे करा लीजिए। उस 100 परसेंट में 90 परसेंट लोग अगर व्यापारी हैं तो आज वो भाजपा के खिलाफ हैं। ये इस बात में सदन में, मैं दावे के साथ आप लोगों के सामने कह सकता हूं। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पास किया गया था। 15/09/2006 नोटिफिके ान के अन्तर्गत पेडस्टेरियन शॉपिंग स्ट्रीट को पीएसईएस कमर्शियल में बदलने का

था। मैं बताना चाहता हूं कि ये कमिश्नर दिल्ली नगर निगम के पत्र संख्या एफ.33/टीपी/42सीएण्डसी दिनांक 04/05/2007 के अनुसार दिल्ली नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था कि दिनांक 15/09/2006 के नोटिफिकेशन में पेडस्टेरियन शॉपिंग स्ट्रीट को ये सीएस कमर्शियल में बदलने का सुझाव था परन्तु कई वर्षों से ये प्रस्ताव नोटिफाई नहीं किया गया। दिल्ली में अधिकांश जो लोग हैं, पीएसईएस के अन्तर्गत आने वाले दुकानदार वो मंजिलों में काम कर रहे हैं।

मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के सभी ट्रेड एसोसिएशन ने सभी जो मार्किट एसोसिएशन हैं, उन्होंने समय समय पर इन भाजपा के जो 10 साल से शासन में हैं, इनके सारे स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन, सारे कमिश्नर और जो भी लोग हैं, उनके सारे नेताओं के पास जा जा के उनके जूते घिस गए और सिर्फ आज शोषण के अलावा ये टालते रहे ये कांग्रेस का काम है। ये उनका काम है। मैं बताना चाहता हूं सर, अगर ये जो इसको रोड को जो अगर बदल दिया जाए कमर्शियल के अन्दर तो नोटिफिकेशन के जरिए लोगों को इसमें कन्वर्जन चार्जेज भी अगर व्यापारी देने को तैयार है। मेरी विधान सभा के अन्दर 58 सड़के ऐसी हैं अगर आज भी वो इसको लागू कर दें तो 58 सड़कों का मतलब ये है कि गांधी नगर के अन्दर 90 परसेंट ऑनरेबल सर, सीलिंग खत्म हो जाएगी हमारे यहां।

एक बात और मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि रेडिमेड गार्मेंट हमारे यहां है। लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं और ये उद्योग इस श्रेणी में आता है सर। आज से तकरीबन 20 साल पहले इसकी डेफिनेशन में बदलाव किया गया था सर। समय के अनुसार घरेलू उद्योग की परिभाषा में आज बदलाव की जरूरत है। वर्तमान में रिहाइशी इलाकों में घरेलू उद्योग के अन्तर्गत उद्योग में 5 कारीगर, 5 किलोवाट का मीटर, 50 परसेंट ब्रीडिंग में एक फ्लोर के

एरिया में काम करते हैं। सर, दिल्ली में अधिकांश लोग ई–एफ–जी कैटेगरी की कालोनियों में घरेलू उद्योग चला रहे हैं। पुरानी दिल्ली हो, चाहे करोल बाग हो, चाहे कोई भी एरिया हो, इनमें भारी संख्या में सर, उद्योग चल रहे हैं। लाखों लोगों को घरेलू उद्योग में रोजगार मिल रहा है। महिलाओं की भागीदारी घरेलू उद्योगों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ई–एफ–जी कैटेगरी की कालोनियों में घरेलू उद्योग लगाने की शर्तों में अगर बदलाव लाएं तो दिल्ली के लाखों लोगों को, लाखों परिवारों को इसका फायदा होगा। हमारी मांग ये है कि कारीगरों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बेरोजगार कारीगरों को रोजगार मिलेगा। 5 किलोवाट जो है, इसकी कैटेगरी को बढ़ाया जाना चाहिए इसको आप 7 किलो कर दें, 8 किलो कर दें सर। 20 वर्श पहले अगर देखा जाए जब ये चीज आई थी तो बिजली की भी कमी थी। आज बिजली पर्याप्त मात्रा में है। हमारी सरकार ने बिजली पर्याप्त मात्रा में है और हम अगर चाहे तो उसको हम लोग जो दे सकते हैं। लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। 10 साल से भाजपा के लोग सत्ता में हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन जी ने जब ये प्रस्ताव पास करके भेजा था और उस समय लोकसभा के अन्दर ऑर्डिनेंस और ये पास किया गया। उस समय किसी भी, किसी भी, दिल्ली में नगर निगम सर थी ये और उसी नगर निगम ने उसका इस बात का विरोध नहीं किया। अगर उस समय अगर ये सारे के सारे लोग इसकी डेफिनेशन को क्लीयर कर देते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। आज अभी आज के अखबार में सर, आया हुआ कि ये हम नहीं कह रहे हैं। ये तो अखबार कह रहा है कि पार्किंग शुल्क रजिस्ट्रेशन फीस से की गई वसूली खा गए कन्वर्जन चार्ज। ये सबके सामने है सर ये। आज जितना पैसा इकट्ठा किया गया है मान लो ईडीएमसी है, साउथ एमसीडी है इनके पास हिसाब ही नहीं है कोई और सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, हम बता दें 2002 में भी सीलिंग की गई थी और 2002

में पूरी दिल्ली के अन्दर सीलिंग हो रही थी और सीलिंग की आग जब जमनापार में पहुंची तो माननीय ऑनरेबल साहब चार लोग, चार लोग मार दिए गए थे। सीलमपुर विधान सभा के अन्दर कहीं ऐसा न हो कि अगर लोगों का रोजगार छिन जाए। आज लोग हमारे ऑफिस में भी आते हैं कि सर, हम आत्मदाह कर लेंगे। अपने परिवारों को ले के आते हैं। हम लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा करके उनके परिवारों के लिए राशन मुहैया करना, कहीं ऐसा न हो जाए ये दिल्ली की सीलिंग की आग लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर कर दे, लोग आत्म हत्या कर लें अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग अपराध की ओर जाएंगे, अपराध की ओर कदम उठाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है?

ये और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं सर, कि हाउस में सारे लोग मौजूद हैं 351 रोड की बात करते हैं। 351 रोड के लिए अगर भाजपा अगर दिल से जैसा कि हमारे माननीय हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि अगर इनके अन्दर जरा सी भी नैतिकता होती और इनके अन्दर जरा सा व्यापारियों के लिए दर्द होता तो आज 351 की नोटिफाई एरिया की सड़क की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने तो किया ही नहीं सर ये और सिर्फ व्यपारियों को वोट देने की तो बात करते हैं। अभी नगर निगम के चुनाव हुए सब जगह कहा, ''हम तो हाउस टैक्स कर देंगे।'' सर, आज भी हाउस टैक्स के नाम पे पूरे गांधी नगर में आपके छोटा बाजार में, आपके विश्वास नगर में, लक्ष्मी नगर में रोज हाउस टैक्स वाले पहुंच जाते हैं। साहब, कैसे आ गए? सारी मार्किट, सारे पैइंगगेस्ट सारे के सारे बंद हो रहे हैं। कहां जाएंगे लोग सर, ये? मेरा हाउस से अनुरोध है आज और हम सभी लोग सम्मानित सदस्य यहां बैठे हुए हैं और एक बात उनसे आज जरूर कह देना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी, मेरी यहां की रेडिमेड गार्मेंट्स

की मार्किट है अगर इस तरीके से सीलिंग बंद नहीं की गई और इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो सब लोग कानून भी अपने हाथ में लेंगे और उसके लिए जो भी सख्त से सख्त कदम होंगे, अगर हमें सड़क पर लेटना पड़े, अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे साथियों को करना पड़ेगा तो हम इनके खिलाफ संघर्ष होंगे और कोई अगर अप्रिय घटना होती है, अगर होगी तो ये भाजपा और केन्द्र सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। ये मैं खुले आपसे कह रहा हूं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहां सुबह सुबह लोग आते हैं, बच्चों को लेकर लोग आते हैं कि साहब इनके यहां राशन डलवा दीजिए। हम कहते हैं, ''साहब, कहां से राशन डलवाएंगे? नहीं, नहीं, सर, ये कराइए।'' और ये सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं भाजपा के लोग। दिल्ली सरकार है। अरे भई! दिल्ली सरकार ने आज तक कर दिया। तुम करके बताइए आप और हम तो आज भी दिल्ली के व्यापारियों के लिए हम और हमारी सरकार पूरी की पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे डिप्टी सीएम साहब आज भी हम दिल्ली के व्यापारियों के लिए खड़े हैं और किसी भी संघर्ष तक अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम सब जाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर ये जरूर है कि रेडिमेड गार्मेंट्स के लोगो को व्यापारियों के लिए और जो ये एक्ट है, ये इसकी सर, मैं कॉपी भी आपको दे रहा हूं। ये अलग इश्यू है और वो अलग इश्यू है। अगर ये पीसीएस में कमर्सियल को अगर आप चेन्ज करा देंगे तो मैं समझता हूं कम से कम गांधी नगर में सीलिंग और आपके करोल बाग में भी है। कई जगह की सूची है, वहां पर कम से कम सीलिंग रूक जाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद, आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

**अध्यक्ष महोदयः** धन्यवाद। श्री विशेष रवि जी।

**श्री विशेष रवि**: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी। गांधी नगर की ही तरह करोल बाग भी एक बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है। और दो, तीन उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह से अनाप–शनाप और गलत तरीके से ये सीलिंग का ये अभियान चल रहा है। लैंड यूज चेन्ज कराने के लिए आवेदन किया एक कम्पनी ने। एमसीडी ने उससे सड़क, पुल निर्माण के लिए साठ करोड़ रूपये की मांग की। कम्पनी ने दे दिये। फिर उससे पुल निर्माण के नाम पर ही उससे 0.75 एकड़ जमीन मांगी गयी। वो भी कम्पनी ने दे दी। फिर दुबारा उसी जगह पर सब–स्टेशन बनाने के लिए आधा एकड़ जमीन और मांगी गयी। कम्पनी ने वो भी दे दी। लेकिन उसके बाद भी उसके यहां, कम्पनी के यहां सीलिंग लग गयी और उसको लैंड यूज नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूं सेन्ट्रल स्कवैयर प्लाजा, रानी झांसी रोड पर डीसीएम रोड उसका नाम है। वहां पर बने हुए सेन्ट्रल स्क्वैयर प्लाजा की जहां पर 31 आईटी यूनिट्स को एमसीडी ने सील कर दिया।

दूसरा उदाहरण है अध्यक्ष जी, अरूणा आसफ अली रोड का जहां पर बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यहां 6 तारीख को एमसीडी का सीलिंग दस्ता पहुंचा और उन्होंने वहां पर सीलिंग करना शुरू कर दिया। बिना लोगों के कागज चेक किये, बिना होटल मालिक से बात किये। जिन लोगों के पास ट्रेड लाईसेन्स, फूड लाईसेन्स, फायर डिपार्टमेन्ट से मिला हुआ एनओसी और होटल लाईसेन्स ये सब कुछ भी जिनके पास है, उन लोगों के भी उन्होंने होटल सील कर दिये और वहां इन होटल्स के अन्दर करीब 15 से 20 परसेन्ट विदेशी सैलानी रहते थे। कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई कहीं से उन लोगों के अन्दर अचानक पैरा मिलिट्री फोर्स को देखके अफरा–तफरी मच गयी। उनमें घबराहट मच गयी और नौबत ये हो गयी एमसीडी की तरफ से उनको उनके सामान, लगेज भी निकालने के लिए

वो टाईम नहीं दे रहे थे और जब उन्होंने ऐम्बेसी में कम्प्लेन करने की बात कही, तब जाके उन्हें लगेज और उनके पासपोर्ट निकालने दिये गये।

तीसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा अध्यक्ष जी, डीबीजी गुप्ता रोड का। प्रह्लाद मार्केट है, यहां पर अलग–अलग तरह के रेस्टोरेन्ट चल रहे हैं और एक रेस्टोरेन्ट है जिसका नाम गोबिन्द है। उन्होंने लगभग दो महीने पहले अपने फूड लाईसेन्स के लिए अप्लाई किया। इसमें नियम इस तरह से होता है कि अगर कोई आदमी लाईसेन्स के लिए अप्लाई करता है तो एमसीडी को ऑनलाईन अप्लाई करने पर उसको डिफिसिएन्सीज डालनी पड़ती है। अगर उनको कोई परेशानी है, उस लाईसेन्स को देने के लिए। लेकिन दो महीने तक बिना किसी डिफिसिएन्सी के उसके लाईसेन्स को लटकाये रखा और अभी 12 तारीख को एमसीडी की टीम वहां पहुंचती है और बिना उनसे बात किये उनकी, उनके रेस्टोरेन्ट को सील कर डालती है। तीसरा वाकया, चौथा वाकया मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये पटेल नगर, हमारी विधान सभा और पटेल नगर की विधान सभा के नजदीक का बीच का एक एरिया है, जहां पर फिर से होटलों को सील किया गया। वहां पर सीलिंग इस तरह से की जा रही थी कि आधी सीलिंग तो वो रिकार्ड में कर रहे थे अधिकारी और आधी सीलिंग को बिना रिकार्ड के कर रहे थे। जब बाद में ये पूछताछ की तो पता लगा कि वो जिन दुकानों को या जिन होटल को वो बिना रिकार्ड के सील कर रहे हैं, उनसे अगले दिन वहां मोलभाव करके उनकी होटल्स की डिसीलिंग की जा रही थी और उनसे पैसा लिया जा रहा था। इस तरह से पूरे क्षेत्र में आतंक का साया बना हुआ है। आतंक का माहौल बना हुआ है। लोग घबराये हुए हैं। व्यापारी घबराये हुए है। कभी भी ये अफवाह उड़ जाती है कि सीलिंग दस्ता आ गया और लोग अपने दुकानें, शटर गिरा के भाग जाते हैं। अपनी दुकान पर, खुद ही ताला लगाके

चले जाते हैं लोग। और व्यापारियों के मन में ये आ गया है कि शायद अब दिल्ली में काम करना उनके लिए सम्भव नहीं है। एक तरफ तो इस तरह से काम चल रहा है।

और एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं की 25 तारीख को मेरे टेलीफोन पर, मेरे फोन पर एक मेसेज आया। वो मेसेज ये कि मसाज पार्लर के किसी सेन्टर का था और उसमें एक इन्डीसेन्ट आफर उनकी तरफ से था। हालांकि इस तरह की कम्प्लेन हमारे एरिये में पहले भी आती रही थी क्योंकि उस दिन वो मेसेज मेरे खुद के मोबाईल पर आया तो मैंने डीसी साहब को उसी समय फोन किया कि इस तरह से ये मेसेज मेरे पास आया हुआ है। आप प्लीज देखिए की ये कैसे कर सकते हैं काम एरिया के अन्दर। दो–तीन दिन तक जब उनकी कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी तरफ से जब चेक करवाया तो पता लगा कि एरिया में चलने वाले 99 परसेन्ट जो सेन्टर है स्पा और मसाज के नाम पर चल रहे हैं, ये सब जो है गैर–कानूनी हैं और इनके पास कोई लाईसेन्स नहीं है। बार–बार कम्प्लेन करने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की मदद से इनको बन्द कराया गया। ये सील आज भी नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गैर–कानूनी काम हो रहे हैं, जिन कामों को समाज में नहीं होना चाहिए, उनको डिपार्टमेन्ट बढ़ावा दे रहा है। कम्प्लेन करने के बाद भी उनको सील नहीं कर रहा है और जहां दूसरी तरफ ईमानदारी से व्यापारी काम कर रहे हैं जिनसे वो लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, वहां पर एमसीडी की टीम दस्ता जाके सीलिंग का अभियान उन्होंने छेड़ा हुआ है।

सर, बड़ा सवाल ये है कि ये जो भी कमियां, दुकानों के अन्दर, बिल्डिंग्स के अन्दर, होटल्स के अन्दर या किसी भी व्यापार के अन्दर जो

कमियां हैं, ये कमियां समय रहते क्यों नहीं ठीक हुई? उस समय इन्जीनियर्स कहां थे? अधिकारी कहां थे जब ये कमियां बन रहीं थीं या बढ़ रहीं थीं? उस समय अधिकारियों ने एमसीडी के लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने जाके चेक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उसी समय जो व्यापारी हैं उनको बताया, आग्रह किया कि आप इसको ठीक कीजिए। आप की, ये काम आपकी तरफ से ठीक नहीं हो रहा है। अगर मॉनिटरिंग कमेटी या जो भी या जिनके भी माध्यम से ये सीलिंग का अभियान चला हुआ है अगर वो ईमानदारी से, अगर वो चाहते हैं कि ये सीलिंग और इस तरह की जो चीजें, कमियां हैं, इन पर रोकथाम की जाये तो उसके लिए तो सबसे पहले जिम्मेदार हैं, वो अधिकारी हैं। उनकी लापरवाही की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से ये कमियां बढ़ी हुई हैं, इस नौबत तक पहुंची है कि आज हमें सीलिंग जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं।

तो मेरी आपसे इस सदन के माध्यम से ये प्रार्थना रहेगी कि सबसे पहले अगर कार्रवाई किसी पर होनी चाहिए तो वो दुकानदारों पर नहीं, वो होटल वालों पर नहीं वो व्यापारियों पर नहीं, वो उन अधिकारियों पर होने चाहिए जिन्होंने समय रहते इनको व्यवस्था नहीं दी। इनको वो मुख्य धारा में लेके नहीं आये जिससे ये अपना व्यापार कर सकते थे। बहुत–बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदयः** धन्यवाद। सुश्री अलका लाम्बा जी।

**सुश्री अलका लाम्बा** : धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने हमे सदन की मांग पर एमसीडी द्वारा जो दिल्ली में सीलिंग है, उस पर चर्चा को स्वीकार किया और हम अपनी बात को रख रहे हैं। बाजपेयी जी ने बताया कि वो एक ऐसी विधान सभा से आते हैं जो व्यापारी वहां पर पूरा गांधी नगर मार्केट,

वैसे ही मेरा चांदनी चौक, अगर आप आएंगे तो पूरा चांदनी चौक और कश्मीरी गेट और जामा मस्जिद जैसे इलाकों में बहुत–बहुत छोटी दुकानें चल रही हैं लेकिन अध्यक्ष जी, आप ये देखिए ये पहला ऐसा वाकया है कि लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इससे पहले, आपको मालूम है 2016 में, 8 नवम्बर को नोटबन्दी करके किस तरह से छोटे से बड़े व्यापारी और एक आम आदमी को जो है, वो कड़वी दवा के नाम पर जहर पिलाया गया और हमें मालूम है कितने लोग उस समय भी इस नोटबन्दी के दौरान जो है, वो व्यापार और बेरोजगार हुए। आगे बढ़े तो फिर उन्होंने अगले साल 2016 के बाद 2017 में जीएसटी लागू किया। जीएसटी कितनी प्लानिंग से लागू किया, वो भी हमारे पास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में फिर जीएसटी को लेकर त्राहि–त्राहि हुई थी कि सरकार की जो तैयारियां होनी चाहिए थीं, वो नहीं थीं। बहुत बार तब्दिलियां भी करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा। उसके बाद इसी साल जब आया है साल तो हमने सुना है कि अब तीसरा सबसे कड़वी दवा, मैं कहूंगी कड़वीं दवा नहीं जहर पिलाने का काम जो सरकार कर रही है, वो रिटेल में 100 परसेन्ट एफडीआई लाने का फेसला जिसका विरोध आज तक करते रहे। ये वही सरकार है जो जीएसटी का, जो एफडीआई इन रिटेल का पूरी तरह विरोध करती रही लेकिन आज सबसे ज्यादा उसकी समर्थक उसको लाने वाली जो है, केन्द्र की मोदी और भाजपा सरकार है।

अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में बहुत एक ऐसा वाकया हुआ क्योंकि मैं कह रही हूं कड़वी दवा के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है। नोटबन्दी में हमने देखा, जीएसटी पर भी आऊंगी, सीलिंग पर भी आऊंगी। क्योंकि एक पूरा ट्रेन्ड चल रहा है इन लोगों का। इनकी सोच और मानसिकता इस देश की जो आर्थिक रीढ की जो हड्डी है, उस हमला करना है, उसे

बर्बाद करना है। ऐसी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब हाथ फैलाकर कर्ज नहीं मांगने की जरूरत पड़ती अगर ये फैसले न लिये होते। लेकिन अभी हाल ही में 6 जनवरी को हमने देखा। साल की शुरूआत भी नहीं हुई थी, साल की शुरूआत भी नहीं हुई थी और हल्द्वानी में, हल्द्वानी–उत्तराखण्ड में प्रकाश पाण्डेय के नाम के एक व्यापारी ने भाजपा के कार्यालय में जो उत्तराखण्ड के भाजपा के मंत्री सुनवाई कर रहे थे, जीएसटी, नोटबन्दी के बाद व्यापारियों को जो सबसे बड़ा धक्का लगा, उसी दौरान वहां के जो हल्द्वानी के जो प्रकाश पाण्डेय जो व्यापारी थे, उन्होंने जहर खा लिया और बड़े हल्के में लिया गया उसे। बड़े हल्के में लिया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में भी देरी हुई। चार दिन के बाद बहुत दुःख के साथ ये सदन में कहना पड़ता है कि व्यापारी ने कड़वे घूंट के नाम पर जहर पी लिया और उसे दम तोड़ना पड़ा। आज वो व्यापारी हमारे बीच में नहीं है। यह एकाध घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएँ हमारे सामने हैं। अब यह भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2007 से लेकर 2017 खत्म हुआ, 2018 में हम आ चुके हैं, 10 साल सरकार किसकी थी, नगर निगम में कौन था क्यों 10 सालों तक आपने जो मास्टर प्लान 2007 में पास किया गया जिसको 2021 तक जो है, वो बनाया गया था, उसको क्यों नहीं आपने 10 सालों तक गम्भीरता ली? उन 351 सड़कों का जो भी हवाला दे रहे हैं, क्यों गम्भीरता नहीं दिखाई?

अध्यक्ष जी, 10 साल तक कन्वर्जन चार्जेज लिए गए। वो उत्तराखंड के व्यापारी थे प्रकाश पांडे, यह आप देखिये, एक सिक्ख व्यापारी जब आपके डिफेंस कॉलोनी में इनकी दुकानें सील करने आए, अपनी फाइल को लेकर चीखते रहे कि मैंने एक करोड़ रुपया कन्वर्जन चार्जेज जमा कराया है, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, मुझे नोटिस तो दीजिए, समय तो दीजिए।

मैं साबित करता हूं करोड़ों रुपया कन्वर्जन चार्जेज के नाम पर भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम दस सालों से इनसे वसूल रही है। एक नहीं सुनी और उनका ताला लगाकर वहाँ से वो चलते बने। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी, अभी अखबारों में इनके बहुत इंटरव्यूज आ रहे हैं, यह मैं नहीं कह रही हूँ नवभारत टाइम्स उठाइये और यह बयान जो है यह श्री केजे राव, चेयरमैन, मॉनिटरिंग कमेटी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में श्री केजे राव जी जो मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने कोर्ट से पूछा है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम से पूछा जाए, कहाँ गए कन्वर्जन चार्ज के एक हजार करोड़? आप पूछ रहे होंगे कि यह क्यों हंगामा कर रहे थे? क्योंकि हमारी माँग थी अध्यक्ष जी, हम हंगामा इसलिए, मैं माफी चाहूँगी, हमने हंगामा किया, क्योंकि हम चाहते थे, इस मुद्दे पर बिल्कुल चर्चा हो और विपक्ष को भी पूरा समय मिले अपनी बात को रखने का कि 10 साल से नगर निगम में इनकी सरकार है, क्यों आप कामयाब नहीं हुए? क्यों आप छोटे व्यापारियों को राहत नहीं दे पाए? हम सुनना चाहते थे। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्चा को तो स्वीकार कर लिया पर भाजपा जो है, उसे डर था कि वो बेनाकाब हो जाएंगे यहाँ पर। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि कन्वर्जन चार्जेज के नाम पर 10 सालों तक आपने एक हजार करोड़ की जो वसूली इन व्यापारियों से की, वो एक हजार करोड़ गया कहाँ? दिल्ली सरकार से जब यह पैसा माँगते हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाते, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के पार्षदों और इनके अधिकारियों को पूछा है कि आप तनख्वाहें लेते हों, काम नहीं करते हो, आपको घर जाकर नींद आ जाती है? और अभी–अभी आपसे बात करते–करते दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा पूछा है इसी भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम से कि अवैध निर्माण अभी भी जारी है। इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अवैध निर्माण जारी है। इस पर कोई एक्शन

आज तक पिछले दस सालों से भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम ने क्यों नहीं लिया। इसका भी कोई जवाब जो है, वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कोर्ट को बताया है कि नगर निगम ने दस सालों में अवैध निर्माण बनाये हैं, मोटी वसूलियाँ की हैं, मोटा माल, लेकिन कार्रवाई नहीं की है। अध्यक्ष जी, कार्रवाई क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लगता है भाजपा को, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक टारगेट दिया गया है। 2019 का चुनाव सर पर खड़ा हुआ है, मोटा माल लाइये, चुनाव कैसे जीत पाएँगे? यह टारगेट मिला हुआ है इन्हें, इसलिए 25 दिसंबर क्रिसमिस और नये साल के त्यौहारों के समय पर इन्होंने दुकानों पर सील करना शुरू कर दिया और अभी इन्हीं के भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष सीलिंग से मिले चार माह की राहत, सिर्फ चार महीने की राहत क्यों चाहिए आपको? दस साल क्यों खामोश बैठे रहे? चार महीने किसलिए? अध्यक्ष जी, चार महीने सिर्फ और सिर्फ मोटा माल इन्हीं दुकानों पर जिस पर सील की है, उस सील को तुड़वाने की बात करके बीच का रास्ता लेकर, मोटा माल कमाने का, चार महीने माँगे हैं और कुछ भी नहीं और इनकी मेयर का भी बयान आया है। सीलिंग के लिए आखिर जिम्मेवार कौन है? दस साल हमें आये हुए नहीं हुए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को अभी सत्ता में आए हुए सिर्फ तीन वर्ष हुए हैं और आप हमसे यह कहते हैं अध्यक्ष जी, 12 अप्रैल, 2007 को एक पत्र लिखा था इन्होंने, कब लिखा था 2007 में कि इन सड़कों का आप नोटिफिकेशन कर दीजिए। कब कहा 2007 में, किसकी सरकार थी? कौन नगर निगम में था? 2017 आ गया, दस साल क्यों खामोश बैठे रहे,? क्योंकि इन्हीं दुकानों से मोटा माल वसूलने का काम आप, आपके पार्षद, आपके अधिकारी करते रहे। मुझे तो लगता है अध्यक्ष जी, यह एक हजार करोड़ का, जो नवभारत टाइम्स में आया है, इसकी जाँच होनी चाहिए और तथ्य बिल्कुल सामने आने चाहिए। यह एक हजार करोड़ कहाँ गया है और यह

जो गुमराह कर रहे हैं भाजपा के लोग, हमने भी अपने मंत्री सत्येंद्र जैन जी से पूछा कि बताइये यह भाजपा चीख–चीखकर, आपने भी अध्यक्ष जी, कहा कि 351 सड़कें जो आप चाह रहे हैं, नोटिफिकेशन होना है। हमने भी मंत्री जी से बात की मंत्रालय में जाकर और जवाब इनके अखबारों में भी आए हुए हैं। जवाब पढ़ियेगा, सुनियेगा, प्रीति अग्रवाल जो नॉर्थ एमसीडी की मेयर हैं, सुनियेगा क्या कहती है। यह मैं नहीं कह रही, नवभारत की एज इट इज लाइन पढ़ रही हूँ आपके लिए, ये कहती हैं प्रीति अग्रवाल ने कहा, ''यदि सत्येन्द्र जैन गम्भीर थे तो उन्होंने जैसे कल फोन पर बात की, वह पहले भी कर सकते थे।'' यानी कि सत्येन्द्र जैन जी ने आपको फोन नहीं किया, आपको बुलाया नहीं, इसलिए आपकी तरफ से भी दस सालों से अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि आप सरकार के पास जाएं, आप सत्येन्द्र जैन जी के फोन का इंतजार कर रहे थे और आगे पढ़ियेगा, आगे वो कहती है ''हम तुरंत उनकी बातों को गम्भीरता से लेते हुए किसी समाधान की आशा से उनके पास गए थे। उन्होंने व्यर्थ ही पत्राचार में समय गँवा दिया।'' यानी कि यह तो बात वो मान रही है कि मंत्रालय की तरफ से आपको पत्राचार के माध्यम से यह गम्भीरता, इसके बारे में बताया गया, आपको कहा गया आप प्लान भेजिये, नोटिफिकेशन करना है लेकिन आप कहती है वो पत्राचार 2007 से, दस सालों में कहाँ खो गया, हमें पता ही नहीं। आप पत्राचार में पड़े रहे, पत्र इधर से उधर होते रहे, अधिकारियों की फाइलों में धूल फांकते रहे, आप फोन ही कर लेते हमें। आप देख रहे हैं कितनी गम्भीरता है एक फोन के इंतजार के चक्कर में ये बैठे रहें। यह फोन तो मुझे लगता है, यह पत्राचार बंद करके हमें तो फोन के ऊपर ही सारे सरकारी काम कर लेने चाहिए।, उसके अलावा जो है इनकी दूसरी मेयर है सहरावत जी, साउथ से हैं। उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि 12 अप्रैल, 2007 को एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया

गया था। देखिये, कब अनुरोध हुआ था। इसी तरह अन्य 44 सड़कों को अधिसूचित करने की स्थायी समिति तथा सदन की मंजूरी के बाद 4 मई, 2007 को दिल्ली सरकार को फिर पत्र भेजा गया था तब किसकी सरकार थी। आप आम आदमी पार्टी सरकार को इस सारी चीज के लिए कैसे दोष दे सकते हैं? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ और यह जो समय माँग रहे हैं, मैं कह रही हूँ सिर्फ कोई नहीं समय, मोटे माल की वसूली के अलावा कुछ नहीं है। एक हजार करोड़ रुपया जो कन्वर्जन चार्ज के नाम पर, पार्किंग शुल्क के नाम पर और रजिस्ट्रेशन फी के नाम पर एक हजार करोड़ वसूला गया है। जब दिल्ली सरकार ऑडिट की बात करती है तो ये कहते हैं कि निगम का ऑडिट आप नहीं कर सकते। हमारी अपनी इनडिपेंडेंट ऑडिट होगा लेकिन आप उससे तो करवाइये। पता तो लगे कि आप जिस कन्वर्जन चार्ज के नाम पर दुकानों की, पहले जीएसटी, नोटबंदी, अब आप एफडीआई लाकर और अब यह सीलिंग का करके दिल्ली के व्यापारियों को जो है, मार रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगी, देश का व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और आपने, हमने देखा है गुजरात के चुनाव में अध्यक्ष जी, सूरत का व्यापारी त्राहि–त्राहि कर रहा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सूरत का व्यापारी भाजपा को वोट दे देगा। किसी को यकीन नहीं था लेकिन जब बक्से खुलते हैं तो सूरत से भाजपा जीतती है लेकिन आज जाकर किसी में हिम्मत हो किसी मीडिया के बारे में, जाकर उस व्यापारी से पूछिये किस तरह से उसकी गर्दन पर तलवार रखकर, उसको ब्लैकमेल करकर कि गुजरात हारेंगे, दिल्ली में तो बैठे हैं, बर्बाद करके रख देंगे।

अध्यक्ष जी, बहुत हकीकतें हैं, बहुत सी सच्चाइयॉ हैं, जो देश के सामने आना जरूरी है और मैं आपसे फिर कहूँगी, मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम

कोर्ट ने गठित की है, बहुत उसने जो रिकमंडेशन और सुप्रीम कोर्ट में जो बातें रखी हैं, मुझे उम्मीद है उनकी जाँच होगी तो भाजपा बेनकाब होगी और बिल्कुल मैं कहती हूँ, दिल्ली की सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए और इस पूरे सदन का समर्थन अपनी सरकार के साथ है कि जितनी भी जल्दी हो सके दिल्ली के पूरे व्यापारियों को इस सीलिंग से राहत देते हुए उनके बंद और ठप्प होते व्यापारों को ताकि उत्तराखंड की तरह किसी व्यापारी को दिल्ली में ज़हर खाने की नौबत न आ जाये क्योंकि जब बाजपेयी जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा है कि बहुत व्यापारी ऐसा कदम उठा सकते हैं तो मुझे लगता है देर हो, उससे पहले हमारा सदन और सरकार गम्भीर हो, भाजपा की जो सरकार है, केन्द्र सरकार के पास भी जाना हो, देश के प्रधानमंत्री, एलजी साहब, किसी के पास भी जाना हो, इस व्यापारी की बंद ताला लगती दुकानों के ताले खुलने बेहद जरूरी हैं और इस मोटा माल कब, कहाँ, किसने वसूला दस सालों में, क्योंकि यूँ ही भाजपा ने अपने सारे पार्शदों की टिकटें नहीं बदल दीं अध्यक्ष जी! भाजपा को भी समझ आ गया था कि दस साल में कन्वर्जन चार्ज के नाम पर दुकानों से, बिल्डर से मोटी वसूली इन्हीं के दस सालों से जो पार्षद जीतते आए, उन्होंने की है। इन्हें पता था ये बेनकाब हो चुके हैं। अब जनता इन्हें वोट नहीं देगी। इसलिए सब की टिकटें काटी और नए लोगों को, नए चेहरों को आगे कर दिया कि पहले उन्होंने कमाया, अब आप कमाइये, खाइये और जब से ये भी आए हैं, ये भी यही काम कर रहे हैं। एक हजार करोड़ की जाँच होगी यह जरूर बेनकाब होंगे और हम, सरकार पूरी ताकत व्यापारियों को देते हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जितनी जल्द से जल्द हो सीलिंग पर रोक लगनी चाहिए, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद–धन्यवाद। श्री सौरभ भारद्वाज जी।

**श्री सौरभ भारद्वाजः** अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बाहर मीडिया वाले भी पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वालों को मार्शल्स ने निकाला है। अध्यक्ष जी, आप बहुत मौका देते हैं विपक्ष के लोगों को और पांच बार हाउस को एडजोर्न किया और उसके बाद मार्शल्स को बुलाकर इन लोगों को बाहर भेजा गया क्योंकि ये लोग चर्चा ही नहीं होने देना चाहते थे। अध्यक्ष जी, मैं आपको शायद आपको जानकारी न हो तो मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अंदर भी इसी तरीके की एक छोटा हाउस लगता है जिसके अंदर हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं, वो माइनॉनिटी के अंदर हैं हालांकि इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी इनकी है और वहां पर जो नेता सदन है, वो लीडर ऑफ अपोजीशन को सदन होने से पहले अपने कमरे में बुलाकर उनको धमकाते हैं, उनको खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर तुमने सदन के अंदर कुछ भी हंगामा किया तो तुम्हारा जो हश्र होगा, वो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ महिला पार्षदों के साथ दलित पार्षद के साथ मार पिटाई की जाती है। हमारी एक दलित पार्षद जो साउथ दिल्ली से आती हैं, मुझे लगता है कि आरकेपुरम विधानसभा से वो हैं। पहली बार चुनाव जीतकर वो आई हैं; किशनवती। हमारी छोटी बहन है किशनवती। बिल्कुल यंग हैं और उनके हाथ को फ्रेक्चर कर दिया इन लोगों ने हाउस के अंदर और मैं जब बाहर निकला तो मीडिया वाले माइक लगाकर मुझसे पूछ रहे थे कि साहब ये तो बहुत बुरा कर दिया आपने बीजेपी वाले लोगों को बाहर निकाल दिया। ऐसे तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा। मैं हैरान था कि इसी दिल्ली के अंदर इसी साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के हाउस के अंदर एक पार्षद का हाथ फ्रेक्चर कर दिया जाता है जो कि महिला भी है और एक दलित भी है और उसके लिए कोई चूं तक नहीं होती

किसी के आगे माइक नहीं लगाया जाता। किसी से प्रजातंत्र के बारे में नहीं पूछा जाता। इसी तरीके से दो साल पहले रामलीला मैदान के अंदर इन्होंने एक अपना हाउस लगाया था, तीनों एमसीडीज ने एक साथ। वहां पर हमारे पार्षद थे; भाई राकेश वो भी दलित समुदाय से आते हैं। उनकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर उस जगह पहुंचे थे। वहां पर भाजपा के पार्षदों ने उनको घेरा, उनको मारा पीटा और आज तक भी पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर एक झूठा दबाव बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से एक झूठा दबाव बनाया जाता है ताकि हम इन तरीके के लोगों की बदतमीजियां बर्दाश्त करें और ये जो मनजिंदर सिंह सिरसा नाम के आदमी हैं, ईवीएम से जीतकर आये हैं ये। ये जिस बदतमीजी से आपसे बात करते हैं, उंगली दिखा दिखाकर आपसे बात करते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। स्पीकर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनकी अगर बदतमीजी रिकार्ड कर ली जाए और एक दिन फेसबुक पर चलाई जाए तो सारी दुनिया को पता चल जाए कि किस तरीके से ये आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं और आप सिर्फ इसलिए कि आप पुराने नेता हैं और आप एक स्टेटमैनशिप के अंदर यकीन रखते हैं। तो आप चाहते हैं कि किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। आपने चार बार पांच बार इन लोगों को मौका दिया मगर देखिये, इनकी मंशा नहीं थी कि इनके सामने इस तरीके की बहस हो सके, चर्चा हो सके क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता। मैं चर्चा को शुरू करता हूं। देखिये, जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे 2017 के अंदर तो ये मनोज तिवारी जी हैं, हालांकि भाजपाई तो नहीं हैं मगर फिर भी इनके शुभचिंतक बैठे हैं। तो ये मनोज तिवारी हैं। जीत के ऊपर इनका एलान हैः ***'To woo shopkeepers BJP promises to lower the conversion fees.'*** इन्होंने वादा किया था कि व्यापारियों के कन्वर्जन चार्ज को ये कम करेंगे। ये 2017 का

है। उसके बाद इन्होंने ये दोबारा मेनिफेस्टो के अंदर भी लिखा, अखबार में छपा। चुनाव से पहले सभी सदनों के अंदर खासकर कि नार्थ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन के अंदर चुनाव से कुछ दिनों पहले, चुनाव फरवरी में थे, 17 जनवरी 2017 की ये खबर है। इन्होंने अपने हाउस के अंदर चर्चा करके ये रेजल्यूशन पास किया कि हम नार्थ दिल्ली के अंदर कन्वर्जन चार्ज को माफ कर देंगे। इन्होंने रेजल्यूशन पास किया। इसी भाजपा के लोग हैं और इसके अंदर भाजपा के नेता सदन, विजय प्रकाश पांडे का बयान छपा है और कांग्रेसी मुकेश गोयल इन दोनों का बयान छपा है कि जी, हम दोनों कांग्रेस और भाजपा मिलकर नार्थ दिल्ली के अंदर कन्वर्जन चार्ज माफ कर देंगे इनका ये रेजल्यूशन था। इसके बाद अध्यक्ष जी, ये लोग चुनाव जीत गये। चुनाव जीतने से पहले कई बार इन्होंने अखबार के अंदर छपवाया, अलग अलग सदनों का कि हम कन्वर्जन चार्ज माफ कर देंगे! हम कन्वर्जन चार्ज को खत्म कर देंगे! और विजेन्द्र गुप्ता जी चले गये यहां से, मैं चाहता था कि वो हाउस के अंदर थोड़ा रहते। उनका बयान छपा हुआ है इसके अंदर। उनका बयान छपा है अखबार के अंदर कि वो इस बात से बेहद दुखी हैं कि केन्द्र सरकार ने कन्वर्जन चार्ज बढ़ा रखे हैं। क्या कि कन्वर्जन चार्ज जो होता है ये डीडीए जो है, यूडी मिनिस्ट्री को भेजती है और यूडी मिनिस्ट्री जो केन्द्र सरकार की है, वो इसको नोटीफाई करती है कि इतने कन्वर्जन चार्ज होंगे। तो विजेन्द्र गुप्ता जी के कई बार बयान छपे हैं अखबार के अंदर। जब ये म्युनिसिपल काउंसिलर हुआ करते थे, उस दोरान के के कि केन्द्र के अंदर जो कांग्रेस सरकार बैठी है, वो इन कन्वर्जन चार्जेज को कम नहीं होने देना चाहती। हम लोग चाहते हैं और बार बार डिमांड करते हैं कि कन्वर्जन चार्ज कम हो जाए। आज केन्द्र के अंदर भाजपा की ही सरकार है। तीनों निगमों के अंदर भाजपा की सरकार है। वे चाहें तो कन्वर्जन चार्ज को खत्म भी कर सकते हैं, कम भी कर

सकते हैं और ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये जो बार बार ये सुप्रीमकोर्ट के गले में इसको लटका देते हैं कि सुप्रीमकोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी है। अब वो कमेटी क्या कह रही है? वो कमेटी ये कह रही है कि जो जो दुकानें रेजीडेंशियल एरिया के अंदर डली थी, जिनको बाद में सरकार ने नोटीफाई करके मिक्स लैंड बना दिया है या उसको उन्होंने कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया है, उन लोगों से कन्वर्जन चार्ज लेना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कमेटी ये कह रही है। कमेटी ये कह रही है कि आप कन्वर्जन चार्ज दे दो तो आपकी सील नहीं करेंगे। आप कन्वर्जन चार्ज नहीं दोगे तो हम आपको सील कर देंगे। तो ये जो कमेटी है मोटे तौर पर सिर्फ एक एमसीडी की टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी की तरह काम कर रही है और जो बीजेपी के काउंसिलर हैं, वो व्यापारियों से पैसा एक्सटार्ट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तलवार लटकाकर व्यापारी की दुकान के ऊपर तलवार लटका दी कि तेरी दुकान कल सील हो जाएगी। रोज अफवाहें फैलाई जाती हैं मार्किटों के अंदर कि आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। एम. ब्लॉक मार्किट में आ रहे हैं, जीके में आ रहे हैं। व्यापारी फोन करते हैं फिर दोपहर तक कहते हैं आज नहीं आए, मगर कल आएंगे। जितनों ने नहीं दिये, भर दो। एक एक दुकानदार को 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपये का कन्वर्जन चार्ज देना है। आप सोचिये दुकानदार जिसको इन्होंने पहले तो नोटबंदी में मारा। फिर उन्होंने उसको जीएसटी में मारा। अब उसका धंधा किसी तरीके से थोड़ा बहुत चल रहा है रोजी रोटी बन रही है। अब तुम उसको कह रहे हो कि तू 40 लाख रुपये जमा कर कन्वर्जन चार्ज के। आज अगर बीजेपी के तीनों सदनों के अंदर ये फैसला हो जाए कि भई कन्वर्जन चार्ज माफ हो जाएगा या इसको इतना कम कर दो कि हर व्यापारी आराम से इसको दे दे तो कन्वर्जन चार्ज की कोई समस्या ही नहीं होगी। अब ये कन्वर्जन चार्ज लिया क्यों जाता है? ये कोई पैनल्टी नहीं है। ये कोई अंग्रेजों का

लगान नहीं है कि तुमको ये कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ये कन्वर्जन चार्ज के पीछे एक सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि आपने रेजीडेंसियल एरिया के अंदर अगर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की है तो कमर्शियल एक्टिविटी के लिहाज से आपको वहां पर फेसिलिटी देनी पड़ेंगी सरकार को। सरकार को मतलब एमसीडी को देनी पड़ेंगी। रोड का रखरखाव बढ़ जाता है। वहां पर सीवर वगैरह की व्यवस्था बढ़ जाती है। ड्रेनेज की व्यवस्था बढ़ जाती है। उसी हिसाब से वहां पर पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप इन सब सुविधाओं को देने के नाम पर कन्वर्जन चार्ज लेते हो उनसे और सुप्रीमकोर्ट ने बार बार कहा है कि ये जो पैसा है, इसको आप किसी और काम में नहीं खर्च करोगे जिस मार्किट से आपने पैसा लिया है, वहीं पर खर्च करोगे। अब ऐसा पैसा ये 2006 से इक्ट्ठा कर रहे हैं और अब 2017 भी खत्म हो गया, 2018 हो गया। 12 साल में हमारे पास आरटीआई आई हुई हैं। हमारा ये अनुमान है कि कम से कम 1000 करोड़ रुपया इन्होंने इक्ट्ठा किया है इन लोगों ने। अब वो पैसा कहां गया ये बहुत जरूरी है जानना कि वो 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कन्वर्जन चार्ज कहां गया और अगर तुम वो खा गये तो तुम अब और क्यों मांग रहे हो या पुराने का हिसाब दो। मैं आपसे ये अध्यक्ष जी ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो हाउस है, इसके प्रति जिम्मेदार हैं। ये तीनों म्युनिसिपल कार्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं/530/ इनको आप कल का समय दे दो, परसों आप इनको हाउस में तलब करो। तीनों म्युनिसिपल कार्पोरेशन के कमिश्नर्स को। और इनको हाउस की तरफ से आपकी चेयर की तरफ से ये राय जाए कि परसों आप सदन के आगे पेश होंगे और बताओगे कि इतने हजार करोड़ रूपये जो आपने 12 साल में इकट्ठे किये हैं, उसको आपने कहां खर्च किया? और अगर नहीं खर्च किया अध्यक्ष जी, उसकी एक–एक पाई दिल्ली वालों की है। ये भाजपा वाले तो खा गए। नहीं खर्च

किया तो आप को 15 दिन का समय दे रहा है यह सदन। आप पन्द्रह दिन के अंदर प्लान लेकर आओ कि उस पैसे को जो आपने 12 साल में इकट्ठा किया है, उसको कैसे खर्च करोगे? उसका प्लान लाओ और इस सदन के आगे 15 दिन के अंदर पेश करो। ये सदन 15 दिन के बाद दोबारा लगना चाहिए। इसी काम के लिए लगना चाहिए। अगर हम सिर्फ यहां पर एक रजल्यूशन पास करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है, आपको सही लगे तो आप कीजिएगा। मेरी बाकी सदस्यों से भी ये गुजारिश है कि अगर आपको ये ठीक लगे तो आप भी इसको अपनी बात में कहिएगा। अध्यक्ष जी से गुजारिश कीजिएगा और हम जब तक हाउस में इन तीनों कमिश्नर्स को नहीं बुलाएगें और इनकी सीएस को बुला लें। उनको चीफ एकाउंटेट बोलते हैं। तीनों इनको एमसीडी के कमिश्नर और चीफ एकाउंटेट यहां पर आएं। स्टेटमेंट लेकर आएं। वो पैसा कहां गया? मेरे पास आरटीआई का रिकार्ड है अध्यक्ष जी। मैं पूरे सदन के अंदर बताना चाहता हूं। इन्होंने ये पैसा सारा का सारा डायवर्ट कर दिया। जो पूरा का पूरा गैर कानूनी है। इन्होंने झूठे लोन के नाम पर वो पैसा डायवर्ट कर रखा है और वो लोन तो कितने दिन का होता है, दस दिन का होता है एक साल का होता है, दो साल का होता है। वो पैसा कभी वापिस आया ही नहीं और अगर हम उस पैसे का हिसाब भी मांगेगे तो अध्यक्ष जी, वो पैसा कभी नहीं आएगा। ये लोग वो पैसा खा गए हैं और ये आगे भी करोड़ो खाएंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।

**अध्यक्ष महोदयः** सोमनाथ भारती जी।

**श्री सोमनाथ भारतीः** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

सौरभ जी ने बड़े विस्तार करके उन्होंने समझाया कि जो एक हजार करोड़ इन्होंने जो इकट्ठा किया, वो कहां गया और किस काम में लग गया और किस तरह से उसका हिसाब किताब सदन को लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास, मैं आज वो जजमेंट भी लेकर आया हूं। अध्यक्ष महोदय एक बेस्ड डाक्यूमेंट मास्टर प्लान 2021 इसी सदन में मुझे और बग्गा जी को डीडीए में मैम्बर के तौर पर भेजा है। डीडीए के अंदर जो आथोरिटी मिटिंग्स होती हैं। इस मास्टर डाक्यूमेंट मास्टर प्लान 2021 के साथ इतनी बार छेड़छाड़ की गई है। इतनी बार इसको अमेंड किया गया है कि ये डाक्यूमेंट के तौर पर तो रहा ही नहीं। जिसकी जब मर्जी आई, जिस भाजपा के नेता की मर्जी आई कि भई, उस मार्किट से पैसे बना लें। वहां से पैसा इकट्ठा हो गया है, उसको हम कमर्शियल डिक्लेयर कर दें, वो आगे आ गया। इसको भी चेंज कर दो। इसका लैंड यूज चेंज कर दो। इसका पैसा आ गया। किसी भी प्रपोजल के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई रैशनली नहीं है। हमने काफी बार वहां पर चूंकि हम माईनोरिटी में हैं तो इस लिए हमारे ऑब्जेक्शन्स को वो ओवर रूल कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा का पूरा जो सीलिंग ड्राईव चल रहा है, ये दर्शाता है कि किस तरह से पॉलिसी पैरालाईसिस हो गई है, चारों तरफ। एक प्रधान मंत्री देश में आए। ये कहने के लिए आए कि हम तो भारत वर्श को पता नहीं कहां ले जाएंगे। लेकिन इन्हीं का डीडीए और इन्हीं की पार्टी का एमसीडी इनसे कुछ ना सम्भल पा रहा है और व्यापारी वर्ग को डरा कर धमका कर के सीलिंग के माध्यम से सिर्फ पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी साथी अलका ने बताया कि 2019 का टारगेट है इनका। इनकी पॉलिसी के माध्यम से तो जनता इनको वोट ना दे रही। इनको वोट, इनको आशा है कि सारी जनता पैसे लेकर वोट दे रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा इन्सान इस देश का प्रधानमंत्री बना जिसको तनिक चिंता नहीं है कि किसी वर्ग के साथ क्या बीत रहा है। चाहे वो दलित का समाज हो, चाहे माईनोरिटीज हों, ट्रेडर्स हो, वुमैन हो, स्टूडेंस हों, सब त्रस्त हैं, चारों तरफ से त्रस्त है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वो जजमेंट है जिसके अंदर जो बातें कहीं गई हैं और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अध्यक्ष महोदय, इसकी मैं कुछ लाईनों को पढना चाहूंगा। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो मॉनिटीरिंग कमेटी बनी, ये क्यों बनी और किसका निकम्मापन है, किस डिपार्टमेंट का, किस पार्टी का निकम्मापन है, किसका इस पूरे सीलिंग ड्राईव से पैसा बनाने की मंशा है, जिसके कारण ये मॉनिटरिंग कमेटी बनी अध्यक्ष महोदय। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट, रिट पैटीशन नम्बर 4677 ऑफ 1985 उसके अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय एक इन्टर रिलेटेड अप्लीकेशन्स के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय, ये 15 दिसम्बर 2017 का जजमेंट है अध्यक्ष महोदय। इसमें बकायदा कोर्ट कहता है कि ***"Invaders have pillage Delhi for hundred of years."*** और इन्वेडर्स की तुलना की है एमसीडी से। ये कहता हैः ***"We referred to unauthorised constructions and misuse of residential premises for industrial and other commercial puposes."*** अध्यक्ष महोदय ये कहता हैः ***"Which is very very for this House to understand the purposes behind this monitoring committee. Since the attitude of the powers that be raised and issue of mis-governance or non-governance affecting the well being of the citizens of Delhi , this court felt that it could no longer be a mute spectator to the whims and fencies of those of power in authority. It was also felt that it would be necessary to direct those in authority and power to implement the law for the sake of citizens of Delhi. This court faces a situation where there was little or no support to the rule of law by the concerned***

***official. Today the citizens of Delhi are faced with and are witnessing among other issues, outrageous issues faced by people of Delhi.'*** अध्यक्ष महोदय आगे कोर्ट कह रहा हैः ***"This court felt, this court darkly hinted that in all these, there were connivance of authorities with the vested interest.'*** अध्यक्ष महोदय इसके बाद इन्होंने कहा है, बडा इन्ट्रेस्टिंग है, संज्ञान में लाना चाहूंगा सदन मैंः ***"In a subsequent decision dated 16th of Feb. 2006 M.C. Mehta Vs. Union of India this court again noted flagrant violation of various laws including municipal laws, the Master Plan and other plan besides environmental laws that has been engaging the attention of this court for several years, this was noted that several orders were passed from time to time only to secure implementation of the laws and protect the fundamental rights of the citizens that it would be the constitutional duty of this court.'***

अध्यक्ष महोदय से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की इस ओब्जरवेशन के बाद भी इसमें कोई सीबीआई इन्कवायरी नहीं होती। साफ–साफ कोर्ट कह रहा है कि इसके अंदर करोड़ो रूपये की लूट है और एमसीडी का इसमें इन्वोलवमेंट है। लेकिन फिर भी न तो बीजेपी की केन्द्र सरकार जाग रही है और न बीजेपी की एमसीडी सरकार जाग रही है अध्यक्ष महोदय। इसमें कोर्ट ने क्वेशचन पूछाः ***"What would happen when those entrusted by law to protect the right of the citizens, themselves violaters and abators of the violations. That difficult task faced in this situation was noted whereas a part of it constitutional duty,this court is required to preserve the rule of law so that people may not lose faith in it and also point out violations of the rule of law by those who are supposed to implement the law. It was observed that vis a vis not one of an absence of law but of its implementation.'***

अध्यक्ष महोदय, कोर्ट बहुत ***pertinently*** कहता हैः ***"Despite its difficulty, this court cannot remain a mute spectator when the violations also reflect the environment and healthy living of law abiders. The enormity of the problem which to a great extent is the doing of the authority themselves.'***

अध्यक्ष महेादय, आथोरिटी जो कर रहा है वो किसके संरक्षण में कर रहा है। भाजपा तीनों एमसीडी के अंदर है। केन्द्र में है इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उनको शर्म नहीं आती। ये सुप्रीम कोर्ट का ओब्जर्वेशन है। उनको शर्म नहीं आती ये सुप्रीम कोर्ट का ओबजरवेशन है। मैं रिपीट करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ***the enormity of the problem which to a great extent is the doing of the authorities themselves does not mean that a beginning should not be made to set things right. If the entire mis-user cannot be stopped at one point of time because of extensive nature then it has to be stopped in a phased manner, beginning with major violatives, there has to be a will to do it.***

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोर्ट ने जब ये मॉनिटरिंग कमेटी एप्वाइंट किया जो कि बेसिकली अध्यक्ष महोदय ये करारा चमाचा है भाजपा केन्द्र सरकार के ऊपर और एमसीडी की भाजपा सरकार के ऊपर। जो काम इनको करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट एक मॉनिटरिंग कमेटी एप्वाइंट करता है। ये सभी लॉ लेसनेस लेस की आड़ में करोड़ो–खरबों रूपये बनाये जा रहे हैं और एक पूरा का पूरा ये जो संस्थान है सब म्यूट स्पेक्टेटर्स हैं। कहां गई सीबीआई? कहां गया ईडी? कहां गया इंनकम टैक्स? कहां गया एसीबी? क्या सब चुपचार बैठे हैं? अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट का ये ओबज़रवेशन इसमें कहता हैः ***"Faced with the situation, in its decision of 24th of March 2006 in M.C. Mehta Vs. Union of India, this court observed that***

***MCD had issued appropriate notices but to oversee the implementation of the law regarding residential premises used for commercial purposes, it would be appropriate to seal offending premises*** मतलब अध्यक्ष महोदय, ***further it says therefore rather than leaving any discretion to the officers of the MCD*** और ब्रेकिट में कहता है ***for obvious reasons*** कोर्ट ट्रस्ट नहीं कर रहा है एमसीडी को कोर्ट कह रहा हैः ***for obvious reasons we cannot trust MCD or of obvious reasons is*** बड़ा इंफेसिस है।***A monitoring committee was appointed.*** अध्यक्ष महोदय कोर्ट के इन्फैक्ट ***this particular judgement of the*** अध्यक्ष महोदय, ***should be given to CBI, when hon'ble Supreme Court has observed such obvious observations which are pointing to rampant corruption of MCD and peoples sitting in MCD and also people sitting in DDA then why cannot the matter investigated by CBI?'***

अध्यक्ष महोदय, ये जो गवर्नेंस का डेफिसिट है जो कि एमसीडी को करना चाहिए था, जो मास्टर प्लान बनाया है, जो बिल्डिंग बायलॉज बनाया है, बस, ये सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आप इसमें करोड़ो रूपये बनायें। इस गवर्नेंस के डेफिसिट को पूरा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, इनको शर्म आना चाहिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर के आपको गवर्नेंस की डेफिसिट को पूरा करना है तो शर्म आना चाहिए, रिज़ाइन कर दीजिये, छोड़ दीजिए। नहीं चलता आपसे एमसीडी ।

अध्यक्ष महोदय, पहले ये कन्वर्जन चार्जिस इन्होंने बढ़ाये 6136 रूप्ये से 89 हजार एटीनाईन थाउसेंड भई किस ग्रांउड पे बढ़ा दिये आपने? और मैं और बग्गा जी उसी मीटिंग में थे। जब हमने कहा कि भई आ चुके हैं, सारे व्यापारी हमारे पास आये कि भई, आप दोनों हो वहां तो विजेन्द्र गुप्ता जी भी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं और इनके और एमसीडी के

दो चार लोग हैं उसमें, वो वहां नहीं जाते। वो हमारे पास आये कि भई, हमारा कुछ करो तो हम लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, हमारे प्रोटेस्ट के बाद डीडीए की अथोरिटी मीटिंग में ये 89 थाउजैंड से उन्होंने पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन लगाया हमनें तो कहा था भई माफ कर दो उसको डाउन करके बोला 22,274 पर सक्वैयर मीटर। लेकिन उसको नोटिफाईड नहीं किया, फिर कर गये उसमें घपला और नोटिफाई कब हुआ लास्ट वर्किंग डे आफ 2017 और मैं उस दिन अध्यक्ष महोदय, आपका चूंकि सदन ने भेजा है मुझे वहां, डीडीए में बैठा रहा सारा दिन और शाम को साढ़े सात बजे आके वो नोटिफिकेशन निकाल के लेके आये अध्यक्ष महोदय। तब जाकर के और हमारे कुछ साथी गये थे मॉनिटरिंग कमेटी के उस दिन। 15 जनवरी तक का वक्त मिला तब जाकर के दिल्ली के व्यापारियों को थोड़ी राहत मिली अध्यक्ष महोदय। लेकिन अभी भी रेज़िडेंशयल इलाकों में जो कमर्शियल कंवर्जन हुआ है उसका 6000 रूपया है कंवर्जन चार्ज और जो कमर्शियल जो कि बाकायदा मार्किट के लिए बना, उसका चार्ज है 22000 रूपया जो कि बहुत ही इल्लॉजिकल है अध्यक्ष महोदय हम डिमांड करते हैं कि इन चार्जिस को एमसीडी प्रॉपरली स्टडी करके माफ करे।

अध्यक्ष महोदय ये जो जैसा कि सौरभ भाई ने बताया ये जो पैसे इक्कठ्ठे हो रहे हैं ये किसके लिए इक्कठ्ठे हो रहे हैं कनवर्जन चार्जिस का मतलब तो कुछ बनता है, कि भई, जो सुख–सुविधायें उस मार्किट को मिलनी चाहिए, पार्किंग की फेसिलिटी, टॉयलटस की फेसिलिटी, प्रॉपर रोड़स ये उनके लिए था तो मैं सौरभ जी की मांग को सपोर्ट करता हूं कि तीनों कमीश्नर्स को बुलाइये और पूरा एकांउटस लेके आयें सदन के आगे और बतायें कि जो आपने 2006 से पैसे इक्कठ्ठे किये हैं, उसको कहां उपयोग किया? बताइये सदन को। उसके एक–एक पैसे का हिसाब–किताब होना

चाहिए अध्यक्ष महोदय। क्योंकि इस दिल्ली के व्यापारियों के खून–पसीने की कमाई है और अध्यक्ष महोदय, इसका असली जैसा सौरभ ने हिंट दिया कि नयी उर्जा, नई उड़ान करके जो माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो एमसीडी में नये–नये पेचेस लाये बोले भइया पुराने नोट पर कमा लिया नई उर्जा नई उड़ान...

**श्री सौरभ भारद्वाजः** सब काउंसलर मांगे नये मकान।

**श्री सोमनाथ भारतीः** सब काउंसलर मांगे नये मकान। अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? ये सभी लोग पैसे के पीछे पड़े हैं और सारे जितने भी डेफिशेन्सी इन गर्वनेंस हैं, उसका एक ही पर्पज है, कर लो इक्कठ्ठे पैसे।

**माननीय अध्यक्ष महोदय जीः** कन्कलूड–कन्क्लूड करिये सोमनाथ जी प्लीज।

**श्री सोमनाथ भारती जीः** इनकी लाइफ स्टाईल देखें।

**माननीय अध्यक्ष महोदय जीः** कन्क्लूड करिये प्लीज कन्कलूड करिये।

**श्री सोमनाथ भारती जीः** ...मैं दो मिनट और लूंगा फिर कंपलीट करूंगा। अध्यक्ष महोदय, इनका लाईफ स्टाइल देखें। आने के तीन चार महीना भीतर ही अगर हमारे पास एसीबी होता तो हम जांच कर लेते और इनके मोर दैन फिफटी परसेंट कांउसर जेल में होते। आने के साथ ही बड़ी–बड़ी गाड़ियां, जिनके पास साईकिल नही था, उनके पास मर्सिडिज़ तक आ गया। ये सीलिंग ड्राईव के पीछे इतने पैसे इक्कठ्ठे कर लिये। अध्यक्ष महोदय इसकी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये ट्रेडर्स, कहा जाता है कि बीजेपी ट्रेडर्स की पार्टी है और इन्हीं ट्रेडर्स को आज चार बड़े इनको झटके दिये हैं। पहले इन्होंने नोट बंदी किया, फिर इन्होंने जीएसटी किया, फिर सींलिंग

कर रहे हैं, फिर ये एफडीआई कर रहे हैं। शायद मोदी जी कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं भईया, हमारी दोस्ती होगी बड़े आदमियों से अम्बानी, अडानी से दोस्ती हो गई, जितने पैसे हमको चाहिए, वहां से आ जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय मैं ट्रेडर साथियों को कहना चाहता हूं कि आपने कोई भाजपा से शादी नहीं कर रखी है आप छोड़ो, ये लुटेरे हैं, ये आपके लुटेरे हैं क्योंकि इन्होंने आपके जिन्दगी को नर्क बना दिया है। आपका दिल्ली में एक ही साथी है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के एमएलएस, कांउसलर्स आपके लिए जान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री आपके लिए जान दे रहा है। मैं सभी ट्रेडर्स साथियों को अपील करता हूं कि भाजपा से मोह छोड़ दो। ये आपको जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। ये चाहते हैं सब बर्बाद हो जायें।

**माननीय अध्यक्ष महोदय जीः** कन्क्लूड–कन्क्लूड करिये सोमनाथ जी, प्लीज कन्क्लूड करिये।

**श्री सोमनाथ भारती जीः** अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ सौरभ का जो प्रपोजल है कि तीनों कमीश्नरों को बुलाया जाये और पूछा जाये कि और पैसे क्यों? अध्यक्ष महोदय साथ में मैं ये भी आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये पूरा जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, अगर सीबीआई को या एसीबी को सौंपा जाये कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन्स हैं करप्शंस के, उसकी जांच करो, धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष महोदय जीः** राजेश गुप्ता जी, अनुपस्थित। महेन्द्र गोयल जी, नारायण दत्त जी, नितिन त्यागी जी।

**श्री नितिन त्यागी जी :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के इस वक्त सबसे बड़ी समस्या के ऊपर आज जो बहस हो रही है उस पर आपने बोलने का मौका दिया, अवसर दिया।

मैं लक्ष्मी नगर से विधायक हूं और वेदना अनिल बाजपेयी जी जो गांधी नगर से विधायक हैं, उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत करी। वैसे ही कुछ लक्ष्मी नगर का भी हाल है। पूरा ट्रेडर ओरिएंटिड है पूरा लक्ष्मीनगर अपने आप में एक मार्किट की वजह से जाना जाता है। बहुत सारे मार्किटस हैं एक्सपोर्ट मार्किट है। कई शोरूमस हैं मैंन मार्किट है विकास मार्ग का और जैसे भी हमारा ये दिल्ली बसा है अनअथोराईज्ड तरीके से बसा, बाद में सुविधायें दी गई कि जो भी सुविधायें हैं अहसान करके के कभी जनता पार्टी ने तो कभी कांग्रेस ने... कंजस्टिड है सब कुछ है पर सर ये जो ट्रेडर्स हैं जो काम कर रहे हैं इतनी परेशानियों के बावजूद ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी हैं बैक बोन हैं हमारी इकोनोमी की जिनको बहुत स्सिटमेटकली हिलाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि ऐसे जो मार्किटस हैं जैसे गांधी नगर का मार्किट है या लक्ष्मी नगर का मार्किट है ये किसी तरीके से भी खत्म हो जायें और यहां पे भी बड़े–बड़े मल्टीनेशनल ब्रेंडस आ जायें और जो लोगों की खरीदारी यहां पे होती है पूरे की पूरे दिल्ली के अलग–अलग मार्किटस को सप्लाई करते हैं सर चाहे वो कपड़े हों, शादी के टाईम पर अगर आप देखेंगें तो माल्स में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कि गांधी नगर या लक्ष्मी नगर की मार्किटस में होती है। और ये जो परेशानी होती है हम लोगों के दिल में चोट की तरह से लगती है जब लोग आ के परेशान हो के हमारे सामने बोलते हैं। कभी नोट बंदी रही कभी जीएसटी रहा बहुत कुछ रहा पर ये जो सीलिंग आ के सीधा पेट पे लात मारने की कोशिश की जा रही है। मैं ये ही कहूंगा कि लोगों की खरीददारी यहां पे होती है। पूरे के पूरे दिल्ली के अलग अलग मार्किट को सप्लाई करते हैं सर चाहे वो कपड़ें हों, शादी के टाईम पे अगर आप देखेंगे तो मॉल्स में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कि गांधी नगर या

लक्ष्मी नगर की मार्किट में होती है। और ये जो परेशानी होती है हम लोग के दिल में चोट की तरह से लगती है जब लोग आके परेशान होके हमारे सामने बोलते हैं। कभी नोटबंदी रही, कभी जीएसटी रहा बहुत कुछ रहा, पर ये जो सीलिंग आके सीधा पेट पे लात मारने की कोशिश की जा रही है और यही कहूंगा मैं पेट पे लात मारने की कोशिश की जा रही है। बार बार हमारे ट्रेडर भाईयों से सैक्रिफाईस मांगा जाता है कनवर्जन चार्ज के नाम पे, कभी पार्किंग चार्ज के नाम पे। 2007 में आया कि 10 साल तक जो दे देगा उसे उसके बाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्किंग कनवर्जन चार्ज। 8 साल का जो एक बार में दे देगा उसे फिर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कनवर्जन चार्ज। और आज जब सीलिंग होती है तो इनके पास कोई रिकार्ड नहीं है किसी भी तरीके का किसी ने जमा किया है या नहीं किया है। मतलब अगर आपकी रसीद खो गयी है तो इसका मतलब यह है कि आपने नहीं जमा किया। ये रिकार्ड क्यूं नहीं रखे जाते, ये पैसा तो जनता का ही है, कहीं और से तो आया नहीं और जनता के पैसे को जनता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए सौरभ भाई ने जैसा बताया कि आज तक पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। पैसा जा कहां रहा है। और हिसाब भी नहीं है और घपला भी सामने आ रहा है कि 1 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा कनवर्जन चार्ज के नाम पे इकट्ठा किया गया है। और अभी भी जो इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है वो डरा के, धमका के, पहने वो 89 थाउजैंड रूपीज पर स्कवेयर मीटर था जिसको कि हमारे सोमनाथ भारती जी, बग्गा जी वगैरह ने मिल के काफी मेहनत करके और काफी प्रोटेस्ट के बाद में वो 22 हजार कुछ हुआ। सीधा 10 साल की पेनल्टी लगाई जाती है और उसके बाद उसे नेगोशिएट करके दो या तीन साल पे सैटल करते हैं और जो लोग सैटल करते हैं वो अलग अलग लेवल पे पैसे खाते हैं। तो जो काम शुरू

होता है बिल्डिंग पे हर फ्लोर पे पैसे कमाना शुरू करने से वही काम इसमें भी हो रहा है। नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी लेके आयी थी निगम में। ये पुराने तो भ्रष्टाचारी साबित हो चुके हैं ये नए आएंगे शायद इनको वोट मिलें, वोट मिले भी, वो लोग सत्ता में भी हैं। पर जो हालत पिछलों की थी उससे बुरी हालत है सर आज की तारीख में। जिस दिन, जिस एरिया में सीलिंग होती है उस पार्षद का फोन ऑफ होता है, ऐसा ही होता है? जिस दिन, जिस एरिया में सीलिंग होती है उस दिन उस पार्षद का फोन ऑफ होता है, उसे पता होता है, ये मिली जुली साजिश होती है, 3–4–5 दुकानदारों को डराएंगे, उसके बाद पूरी मार्किट से पैसा वसूलेंगे। ये राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। एक भी पार्षद आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है कि उसके क्षेत्र में जिन लोगों ने उसको वोट दी थी, जिसको अपना भाई कहा था, चाचा कहा था और वोट मांगी थी और उन्होंने अपना बेटा और भाई समझ के वोट दी थी आज उसके लिए आप आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। हर जगह पे हम लोग जाते हैं, हमारे विधायक हैं, तकरीबन सभी विधानसभाओं में हमारे विधायक हैं। वो जाते हैं आज की तारीख में लोगों के साथ। कोशिश करते हैं कि सीलिंग से बचें दुकानें, इस दहशत से बचें, डरते हैं, लोग डरने लगे हैं। दहशत है मन में और किसी को डराना आप तो हिंदी के अच्छे ज्ञानी हैं, किसी को डराना उसको आतंकित करना ही होता है और जो आतंकित करता है किसी को वो आतंकवादी ही होता है। चाहे वो फाइनेंशियल आतंकवाद हो, पॉलिटिकल आतंकवाद हो, या वो टेररिज्म वाला आतंकवाद हो। ये डरा के काम किया जा रहा है। एकाउंटेबिलिटी किस की है इसमें, इतने सालों तक आपने जो नहीं लिया कनवर्जन चार्जिज। चलिए, मान लीजिए नहीं लिया तो क्यूं नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया, जाते थे, हर साल डराते थे और हर साल थोड़े थोड़े पैसे लेके सैटल

करते थे। ऐसे ही नहीं इतनी कोठियां और इतने बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास। चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हों, और ये बहुत अच्छा सुझाव है सौरभ भाई का कि तीनों की तीनों मेयर को बुलाना चाहिए, कमिशनर को बुलाना चाहिए, उनके सीएस को बुलाना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हाउस के अंदर आएं, प्रस्तुत करें कि ये जो पैसा पहले लिया था उसका क्या हुआ और जो आज तुम लेने के लिए इतने उतावले हो रहे हो उसका क्या करने वाले हो, क्या वजह है, कहां इस्तेमाल किया आपने पैसे को, जब तुम पार्किंग चार्जिज की बात करते हो तो कौन सी पार्किंग तुम लोगों ने बनाई है। क्या पार्किंग तुम ने किसी को प्रोवाईड करी है, मेरे लक्ष्मी नगर में तो कहीं पार्किंग नहीं दिखाई देती, कहीं पार्किंग नहीं दिखाई देती, मनोज जी कोण्डली से हैं, कोण्डली में कहीं पार्किंग नहीं दिखाई देती। सिर्फ छोटे छोटे लैंड के पीसिस किसी के भी पड़े होते हैं उन्हें घेर के अपने किसी को पार्किंग दे देते हैं वो पार्किंग हो जाती है वहां पे 20 गाड़ियां खड़ी होने की जगह हो रही होती है वहां पे ठूस दी जाती है गाड़ियां। कौन सी पार्किंग है विकास मार्ग पे कौन सी पार्किंग है, लक्ष्मी नगर के अंदर कौन सी पार्किंग है मार्किट में, शक्करपुर मार्किट में कौन सी पार्किंग है जहां पार्किंग चार्जिज लिए गए हैं ? किस नाम से पार्किंग ली जाती है, क्या वजह है ये बार बार कनवर्जन की तलवार लटका दी जाती है और अगर लेना था पैसा पार कर, अगर लेना था तो इलेक्शन से पहले क्यूं नहीं लिया, क्यूं धोखा दिया जनता को, क्यूं बार बार झूठे आश्वासन दिए कि हम लोग हटा देंगे? इसकी कोई एकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है कि नेता आने से पहले कहे कि एफडीआई का विरोध करूंगा और मरते दम तक विरोध करूंगा ऐसे शब्द इस्तेमाल करे अब कहां मरने गया है वो नेता जो एफडीआई लेके आ रहा है देश के अंदर। इसी तरह से जो कनवर्जन के विरूद्ध बोल रहे थे और आज जीतने के बाद

कनवर्जन के लिए चुप्पी साध के बैठे हैं, ऐसे नेता का क्या होना चाहिए। इन झूठे वादों की भी एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपोज होने चाहिएं ये लोग और ये मीडिया जो चुप बैठी है इन बातों पे इनको भी जागना चाहिए नहीं तो कल कुछ और लोगों ने आवाज उठाई थी कुछ दिन बाद जब इनका घर जलेगा तो इनके भी आवाज कोई और सुनने वाला नहीं होगा। मीडिया का काम है लोगों की वेदना को सब तक पहुंचाना, सब के सामने लेके आना इस भ्रष्टाचार को। अगर वो काम करने में विफल हो रहे हैं या जानबूझ के नहीं कर रहे हैं तो ये इनकी गैरजिम्मेदाराना हरकत है। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि इसे जल्दी से जल्दी हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए, सारे मेयर्स को यहां बुलाना चाहिए, उनके अकाउंटस को बुलाना चाहिए, अकाउंट ऑफिसर्स को बुलाना चाहिए, कमिशनर्स को बुलाना चाहिए, रिकार्ड मंगाना चाहिए और आगे इस पैसे का क्या हो क्यूंकि बार बार अगर आप रोते हो कि हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हमारे पास डेवलपमेंट के पैसे नहीं है तो जो पैसा तुम पे आया हुआ है वो कहां गया है ये दिल्ली की जनता जानना चाहेगी, हर एक की जेब से निकले हुए पैसे हैं, किसी के घर से आए हुए पैसे नहीं हैं, जनता के पैसे हैं, वो जनता के काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये जनता को जानने का हक है। तो सदन के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि तीनों के तीनों मेयर्स को तलब किया जाए और कमिशनर्स को भी तलब किया जाए, किसी काम के नहीं है चलिए हम लोग सदन वाले मानते हैं कि मेयर्स किसी काम के नहीं हैं तो कमिशनर्स को तलब किया जाए, उनके एकाउंट्स को सारे एकाउंट्स के साथ वो लोग आएं पिछले कई साल के रिकार्ड लेके आएं कि कितना जमा किया है, कहां कहां यूज़ किया है, हां तीनों एमसीडी को और सर इसको बहुत जल्दी करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस चर्चा को यहीं बीच में रोक रहा हूँ जो माननीय सदस्य बाकी रह गये हैं कल चर्चा कंटीन्यू रहेगी, और रोकने के पीछे मकसद ये भी है समय बढ़ा सकता था, मैं चाहता हूँ विपक्ष भी इस चर्चा में भाग ले, कल इस चर्चा में भाग ले सकें और इसलिए मैं इसको आज स्थगित कर रहा हूँ, कल चर्चा कंटीन्यू रहेगी। अब सदन की कार्यवाही 16 जनवरी, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 16 जनवरी, 2018 को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।